

## अनुक्रमणिका

अनु क्र.	अध्याय	पृष्ठ
	प्रस्तावना	
1.	वैधानिक विकास	
2.	संगठन की भूमिका और कार्य	
3.	संगठन की गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण	
4.	प्रशासन, बजट और अवसंरचना	
5.	विभागीय परीक्षण केन्द्र और आतिशबाजी अनुसंधान एवं विकास केन्द्र	
6.	ई-गवर्नेन्स	
7.	मुख्य विस्फोटक नियंत्रक की महत्वपूर्ण बैठकें-संगोष्ठी-व्याख्यान-प्रशिक्षण कार्यक्रम- विदेश यात्राएं	
8.	सेवाओं में-एससी/ओबीसी/एक्स-सर्विसमेन तथा शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति	
9.	सतर्कता की गतिविधियां	
10.	राजभाषा का प्रयोग	
11.	अनुज्ञप्त / अनुमोदित परिसरों का निरीक्षण	
12.	दुर्घटना की जांच	
	<b>परिशिष्ट</b>	
1.	पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन का संगठनात्मक ढाँचा	
2.	पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन के अंचल तथा उप-अंचल कार्यालयों का क्षेत्राधिकार	
3.	संगठन के विभिन्न कार्यालयों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्वीकृत पद	
4.	वर्ष 2010 – 2011 के दौरान विस्फोटको का उत्पादन	
5.	विस्फोटकों का आयात एवं निर्यात	
6.	विस्फोटको का निस्तारण	
7.	उत्पादन, आयात और निर्यात (गैस सिलेण्डर तथा वॉल्व)	
8.	एलपीजी तथा ऑटो एलपीजी सिलेण्डरों के लिए वॉल्व के विनिर्माताओं की सूची	
9.	एलपीजी सिलेण्डरों, एलपीजी रेगूलेटरों तथा मल्टी फंक्शन वॉल्व के अलावा एलपीजी सिलेण्डरों के नए विनिर्माताओं की सूची	
10.	ऑटो एलपीजी कंटेनरों के नए विनिर्माताओं की सूची	
11.	मान्यता प्राप्त स्थिर तथा गतिशील दाबपात्र (अ) नियम, 1981 के अंतर्गत दाबपात्रों के स्टेजवाईज निरीक्षणों के लिए नए थर्ड पार्टी निरीक्षण एजन्सियाँ	
12.	एसएमएस विनिर्माताओं की सूची	
13.	पेट्रोलियम वेसल्स का परीक्षण तथा कोर्ट हाजिरी	
14.	रिफायनरी का कार्य	

## प्रस्तावना

पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन जिसे पहले विस्फोटक विभाग के नाम से दिनांक 05.09.1898 को स्थापित किया गया था, प्रारंभ से ही जोखिम वाले, जैसे विस्फोटक विनिर्माण, संपिंडित गैसों तथा पेट्रोलियम से संबंधित परिसरों के संबंध में राष्ट्रीय नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य कर रहा है। इस संगठन ने जोखिम वाले पदार्थों के विनिर्माण/परिष्करण, भंडारण, परिवहन, हैण्डलिंग आदि के सुरक्षा से संबंधित विषयों में एक सदी से भी अधिक समय से एक अग्रणी संस्थान के रूप में अपनी पहचान बनाई है। संगठन ने अस्सी के दशक के अंतिम वर्षों तक अपने सामान्य वैधानिक दायित्वों के अतिरिक्त जन सुरक्षा, पर्यावरण जैसे विषयों पर भी स्वेच्छापूर्वक उत्कृष्ट स्तर की भूमिका निभाई है जिनमें विस्फोटकों का परिक्षण एवम डिस्पोजल, इम्प्रोवाईज्ड विस्फोटक डिवाइसेस शामिल हैं जिनमें से कुछ देश के स्वतंत्रता संग्राम, विभिन्न क्षेत्रों में आतंकवादी गतिविधियों आदि के दौरान राष्ट्रीय महत्व के थे। पिछले सदी के अंतिम दशक तक इस संगठन के अधिकारियों ने पूरे भारत वर्ष में एन्टी-सैबोटेज-चेक, अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा, एवं विभिन्न एयरपोर्टों की सुरक्षा का दायित्व भी पूरा किया। इस संगठन ने देश के पुलिस/सुरक्षा एवम गुप्तचर कर्मियों को विस्फोटकों/विस्फोटक डिवाइसेस एवं अन्य विस्फोटक सामग्रियों का पता लगाने, उनके परीक्षण व उनके परीक्षण व उनके डिस्पोजल के बारे में अत्यंत ही महत्वपूर्ण ढंग से प्रशिक्षण देने का कार्य किया, क्योंकि इस तरह की कोई अन्य एजेंसी इस देश में नहीं थी। पिछले कई वर्षों में इस संगठन की गतिविधियों में कई गुना बढ़ोतरी तथा अनेक क्षेत्रों में विस्तार हुआ है। वर्तमान में यह संगठन विस्फोटक, पेट्रोलियम, संपिंडित गैसों, दाब पात्र, गैस सिलेण्डरों, पेट्रोलियम/ संपिंडित गैसों की पाईपलाईन्स, एलएनजी, सीएनजी, ऑटों एलपीजी आदि से जुड़े व्यापक विषयों का कार्यभार संभाल रहा है।

यह संगठन जिसमें लगभग 91 अधिकारी ही वर्तमान में कार्यरत है और आकार में अनेक सरकारी विभागों से काफी छोटा होने के उपरांत भी एक ऐसा संगठन है जो सीधे रूप में 2.71 लाख से भी अधिक जोखिम वाले परिसरों की सुरक्षा में कार्यरत है तथा अनेक उद्योगों और उपयोगकर्ता कंपनियों को तकनीकी एवं सुरक्षा मार्गदर्शन देता है, जिसमें रक्षा मंत्रालयों, रेलवे, जहाजरानी, भूतल परिवहन, पर्यावरण एवं वन, नागरिक उड्डयन और परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष अनुसंधान के प्रतिष्ठान समाहित हैं।

प्रारंभ में इस संगठन का दायित्व विस्फोटक अधिनियम (1884 का 4) को लागू करना था, जिसमें उस समय मौजूद विस्फोटक भंडारण मैगजीनों का निरीक्षण तथा विस्फोटको के भण्डारण एवं परिवहन से संबंधित होनेवाली दुर्घटनाओं की जाँच तक ही सीमित था। इसके उपरांत दिनांक 17.02.1899 को लागू पेट्रोलियम अधिनियम (1899 का 8) तथा दिनांक 11.08.1899 को इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए कैलशियम कार्बाईड नियमों का अनुपालन भी इस विभाग को सौंपा गया। उस समय भारत के अनेकों राज्यों में लागू अलग – अलग प्रावधानों के कारण पेट्रोलियम अधिनियम व इसके अंतर्गत आनेवाले नियमों का अनुपालन कठिन हो गया था।

उपरोक्त कठिनाईयों को दूर करने एवं पूरे देश में इन नियमों के संबंध में एक समानता लाने के उद्देश्य से चीफ इन्स्पेक्टर ऑफ एक्सप्लोज़िक्स ने नये नियमों को लागू करने का प्रयास किया जो कि सभी की अलग-अलग परिस्थितियों के अनुरूप थे। अंततः दिनांक 30.03.1937 को पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 को अनुसूचित किया गया जिसने उस समय लागू विभिन्न राज्यों व केन्द्र के नियमों को समाप्त कर दिया। दिनांक 18.03.1937 को एक समेकित कैलशियम कार्बाईड नियम भी लागू किया गया। अपने देश की स्वतंत्रता के उपरांत जोखिम परंतु उपयोग वाली सामग्री जैसे विस्फोटक, पेट्रोलियम आदि को भारत गणराज्य की युनियन सूची में स्थान प्राप्त हुआ। तत्पश्चात पेट्रोलियम नियम 1937 को सम्यक रूप से पुनरीक्षित कर उसके स्थान पर पेट्रोलियम नियम, 1976 लागू किये गये, जिन्हे वर्तमान परिस्थितियों, नई तकनीक के आ जाने तथा राज्यसभा की कमेटी द्वारा दिये गये सुझावों को ध्यान में रखते हुये नये पेट्रोलियम नियम 2002 लागू किया गया।

इस लंबे समय के बाद विस्फोटक नियमों में भी कई बदलाव एवं संशोधन किये गये जिसके कारण विस्फोटक नियम 1918 को विस्फोटक नियम 1940 द्वारा पुनरीक्षित किया गया, जिन्हे पुनः विस्फोटक नियम 1983 के द्वारा बदला गया। उपरोक्त नियमों को पुनः बृहत रूप से समालोचित कर विस्फोटक नियम 2008 दिनांक 29.12.2008 से लागू किए गए हैं।

ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम 1952 वर्ष 1952 में लागू हुआ। गैस सिलेण्डर नियम जो मूलतः 1940 में बनाए गये थे, उन्हे नए बृहत गैस सिलेण्डर नियम 1981 से प्रतिस्थापित किया गया। भारत सरकार की उदारीकरण नीति के कारण दिनांक 21/8/2004 से लागू इन नियमों को पुनः पुनरीक्षित कर नए गैस सिलेण्डर नियम, 2004 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

बल्क संपिडित गैसों के दाब पात्र में भण्डारण एवं परिवहन हेतु पहली बार स्थिर तथा गतिशील दाब पात्र (अज्वलित) नियम 1981 को देश में लागू किया गया। नये क्षेत्र जैसे क्रयोजेनिक

लिविङ्स, ऑटो एलपीजी डिस्पेन्सिंग स्टेशन, आदि को समाहित करने हेतु इन नियमों को समय-समय पर उचित रूप से संशोधित किया गया।

इस संगठन ने अपनी जटिल कार्यप्रणाली व संवर्धित उत्तरदायित्वों जिनमें इस विशाल देश के कोने-कोने में सुरक्षा प्रावधानों को लागू करना शामिल हैं, को सुचारू रूप से अनुपालन किये जाने तथा कार्यप्रणाली को आधुनिक रूप देने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा उपलब्ध कराये गये विभिन्न उपकरणों/मोडयुलों का उपयोग करना प्रारंभ किया गया, जिसके फलस्वरूप इस संगठन के सभी कार्यालयों का एक नेटवर्क, जिसका सेंट्रल सर्वर नागपुर में स्थापित है, गठित किया गया है। साथ ही संगठन के सभी डाटा बेस को डिजीटाईज्ड कर आम जनता की पहुँच इस डाटा बेस तक उपलब्ध कराई गई है। संगठन की वेबसाईट पर सभी जनसदस्य अपने आवेदनों की स्थिती जान सकते हैं। इस संगठन का उद्देश्य आधुनिक तकनीकी, नई कम्प्यूटरीकृत कार्यप्रणाली, उन्नत मानवशक्ति का उपयोग कर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निरंतर प्रशिक्षण देकर अपने आप को एक विशिष्ट संस्थान के रूप में स्थापित करना है। जिस तरह सुरक्षा के क्षेत्र में सभी संबंधित उद्योगों, विभिन्न सरकारी विभागों/संस्थानों तथा स्वायत्त निकायों द्वारा जोखिम वाले पदार्थों के हैण्डलिंग में संगठन की सलाह मांगी जाती है, उससे सदी में संगठन द्वारा अर्जित प्रतिष्ठा प्रमाणित होती है।

सबसे कुशल तकनीकी कार्य बल, काम करने की अनुकूल स्थिती, सक्रिय दृष्टिकोण, ज्ञान संवर्धन की जिज्ञासा में उन्नयन, आईटी तकनीक का परिनियोजन और समस्त सुरक्षा की सेवा हेतु समर्पण से युक्त होने से आनेवाले वर्षों में संगठन उत्कृष्टता की नई उँचाईयां छूने के लिए तैयार है।

**टी.आर.तोमस**  
**मुख्य विस्फोटक नियंत्रक**

## संगठन की भूमिका और कार्य

अग्नि और विस्फोटो से जनजीवन तथा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, संगठन को एक सांविधिक प्राधिकरण के रूप में, विस्फोटक अधिनियम, 1884, पेट्रोलियम अधिनियम, 1934, ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम, 1952 तथा इन अधिनियमों के तहत बनाए गए निम्नलिखित नियमों के अंतर्गत जिम्मेदारिया सौंपी गई है:—

### 2.1: वैधानिक भूमिका

#### विस्फोटक अधिनियम 1884 :

1. विस्फोटक नियम, 2008
2. गैस सिलेन्डर नियम, 2004
3. स्थिर तथा गतिशील दाबपात्र (अज्वलित) नियम, 1981
4. एसिटिलिन जनरेटर से संबंधित अधिसूचना सं. जीएसआर 625 (ई) दि. 07.08.1983

#### पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 :

1. पेट्रोलियम नियम, 2002
2. कैलशियम कार्बाईड नियम, 1987
3. चलचित्र फिल्म नियम, 1948

उपरोक्त अधिनियमों और नियमों के संचालन से संबंधित संगठन की गतिविधियों को संक्षेप में निम्नानुसार वर्णित किया गया है :—

#### 2.1.1: विस्फोटक नियम, 2008

विस्फोटकों के विनिर्माण, विस्फोटको का प्राधिकरण, विस्फोटको का भण्डारण, विस्फोटकों के आयात/निर्यात, विस्फोटकों का सडकों से परिवहन और विस्फोटकों के पैकेजिंग आदि के लिए अनुमोदन, अनुज्ञप्ति जारी करना, विस्फोटक नियम, 2008 के अंतर्गत प्रमुख कार्य हैं जिसमें उपकरणों और मशीनों सहित विभिन्न प्रकार के विस्फोटकों के विनिर्माण के लिए सुरक्षित प्रणालियों और तरीकों का निर्धारण किया जाता है। संगठन विस्फोटकों से जुड़े दुर्घटनाओं की जांच करता है और जन सुरक्षा के हित में अनुपयोगी/जब्त विस्फोटकों का नष्टीकरण करता है ।

संगठन अनुज्ञप्ति/अनुमोदन जारी करते समय नए परिसरों के सत्यापन/पृष्ठांकन हेतु निरीक्षण तथा सुरक्षा जांच करता है तथा अनुज्ञप्त/अनुमोदित परिसरों का आवधिक निरीक्षण भी करता है।

### **2.1.2: गैस सिलेण्डर नियम, 2004**

भारत सरकार की अधिसूचना सं. एम-1272(1) दि. 28 सितम्बर 1938 में पहली बार गैस सिलेण्डर नियम प्रकाशित हुए थे जिसमें यह घोषित किया गया कि कोई भी गैस जो मेटल कंटेनर में संपीड़ित या द्रवित रूप में अंतर्विष्ट है, वह विस्फोटक अधिनियम 1884 के अर्थ के अंतर्गत-विस्फोटक, है। स्वतंत्रता के पश्चात गैस उद्योग में विकास के मद्देनजर व्यापक पुनरीक्षण के पश्चात उपरोक्त नियम गैस सिलेण्डर नियम, 1981 द्वारा प्रतिस्थापित किए गए हैं। अस्सी और नब्बे के दशक में गैस उद्योग एवं इससे जुड़े उद्योगों के कारण महापुंज विस्तार हुआ, जिसका कारण आर्थिक उदारीकरण एवं वैश्वीकरण, एलपीजी का घरेलू एवं औद्योगिक ईंधन के रूप में उपयोग, पर्यावरण संरक्षित आटोमोटिव ईंधन के रूप में सीएनजी और एलपीजी का परिचय, नई तकनीक, आदि का आगमन जिसके परिणाम स्वरूप संशोधन कर नया गैस सिलेण्डर नियम, 2004 बनाए गए।

इन नियमों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख कार्य सम्मिलित हैं :-

सिलेण्डर, वाल्व्स, एलपीजी रेगुलेटरो के विनिर्माण इकाइयों को अनुमोदन प्रदान करना तथा इन उपकरणों का डिजाइन अनुमोदन, गैस भरण संयंत्र, सीएनजी फ्युलिंग स्टेशन्स, सिलेण्डर भण्डारण परिसरों तथा सिलेण्डरों/वाल्व्स के आयात का अनुज्ञप्तिकरण, सिलेण्डर भरण अनुमति, सिलेण्डर परीक्षण केन्द्र, आदि को मान्यता, सिलेण्डरों, वाल्व्स, रेगुलेटरो, आदि के मानकों के बनाने में संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संगठन इन नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित कर सुरक्षा जागरूकता लाने के उद्देश्य से गैस इन्स्टॉलेशन, भरण संयंत्र, सीएनजी फ्युलिंग स्टेशन, सिलेण्डर, वाल्व्स तथा रेगुलेटर विनिर्माण इकाइया, आदि जो उपरोक्त नियमों के अंतर्गत अनुमोदित/अनुज्ञप्त हैं, का नियमित रूप से संपरीक्षा करता है।

नियमों के विनियमन तथा सरलीकरण के संदर्भ में गैस सिलेण्डर नियम, 2004 की मुख्य विशेषताएं हैं :-

क. 2500 लि. क्षमता वाले स्पेशल कंटेनरों तथा नॉन-मेटालिक मटेरियल से बने कंपोजिट सिलेण्डरों को गैस सिलेण्डर नियमों के अंतर्गत लाने के लिए इन नियमों की व्याप्ति बढ़ाना।

- ख. भरे हुए सिलेण्डरों को बिना अनुज्ञप्ति रखने की छूट की सीमा बढ़ाना और अनुज्ञप्ति प्रदान करना तथा नवीकरण की अवधि बढ़ाना।
- ग. भरण संयंत्र के निर्माण, सिलेण्डरों के एक गैस सर्विस से दूसरे में परिवर्तित करना तथा अविषैली अज्वलनशील गैसों का सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच सिलेण्डर-भरण तथा इन सभी के लिए विनिर्देशों तथा प्लान के पूर्वानुमोदन की जरूरतों को पूर्ण करना।
- घ. अनुज्ञप्तिधारक की मृत्यु या स्वामित्व बदलने पर अनुज्ञप्ति के अंतरण की प्रक्रिया का सरलीकरण।

### **2.1.3: स्थिर तथा गतिशील दाबपात्र (अज्वलित) नियम, 1981**

इन नियमों के प्रशासन से संबंधित संगठन के कार्य निम्नलिखित हैं :-

दाब पात्र/फिटिंग के फैब्रिकेशन शॉप और उनके डिजाइन हेतु अनुमोदन, संपिडित गैस के भण्डारण के अधिष्ठापनों तथा सडकों द्वारा उन गैसों के परिवहन हेतु अनुज्ञप्तियां, पात्रों के आयात हेतु अनुमति, पात्रों के निर्माण/सुधार, अंतिम परीक्षण और आवधिक परीक्षण के समय निरीक्षण तथा प्रमाणित करने के लिए अभिकर्ताओं/सक्षम व्यक्तियों को मान्यता प्रदान करना।

संगठन द्वारा नए परिसरों को अनुज्ञप्तियां/अनुमोदन प्रदान करते समय सत्यापन/पृष्ठांकन हेतु निरीक्षण और सुरक्षा जांच की जाती है, तदुपरांत अनुज्ञप्ति प्राप्त/अनुमोदित परिसरों का आवधिक निरीक्षण भी किया जाता है। उपरोक्त कार्यों में सुरक्षा जांच, निरीक्षण रिपोर्टों का आवधिक परीक्षण तथा पात्रों फैब्रिकेटर्स और प्रमाणन एजेंसियों के कार्य-निष्पादन का पुनरीक्षण भी शामिल हैं।

### **2.1.4: एसिटिलीन जेनरेटर संबंधी दिनांक 07.08.1983 की अधिसूचना सं. जीएसआर.625(ई)**

एसिटिलीन जब द्रव हो या दबाव में हो या वायु या आक्सीजन के साथ मिश्रण में हो, तो वह अति विस्फोटक होती है। एसिटिलीन का उत्पादन और जेनरेटर का अनुमोदन इस अधिसूचना के अंतर्गत शासित हैं। संगठन एसिटिलीन जेनेरेटर का प्रकार तथा एसिटिलीन संयंत्र को अनुमोदन प्रदान करता है। कार्यरत एसिटिलीन सिलेण्डर फिलिंग संयंत्र के नियमित निरीक्षणों के अलावा, संगठन द्वारा विनिर्माता के स्थान पर तथा जेनरेटर स्थापित किए गए कारखानों में, उनके निष्पादन का मूल्यांकन करने के साथ ही अनुज्ञप्तियों के पृष्ठांकन के समय प्रत्येक जेनरेटर की योग्यता के निर्धारण हेतु जेनरेटरों के ट्रायल रन लिए जाते हैं।

### **2.1.5: पेट्रोलियम नियम, 2002**

अधिनियम और नियमों के अंतर्गत पेट्रोलियम को हाइड्रोकार्बन द्रव या हायड्रोकार्बन द्रव का मिश्रण और हायड्रोकार्बन द्रव मिले हुए किसी ज्वलनशील मिश्रण से परिभाषित किया गया है।

इन नियमों के प्रशासन संबंधी निम्नलिखित कार्यों के अनुमोदन समाविष्ट हैं –

रिफाईनरियों, पेट्रोकेमिकल्स, तेल और गैस निर्मिती संयंत्र, पेट्रोल का भूमिमार्ग व पाइपलाइनों द्वारा परिवहन, ऐसे स्थानों पर जहां ज्वलनशील गैस तथा वाष्प भरी हों, वहां उपयोग में लाए जानेवाले अन्य उपयुक्त संरक्षित बिजली के उपकरण और अन्य सुरक्षा उपकरणों को फ्लेमप्रूफ करना, पेट्रोलियम डिस्पेन्सिंग/सर्विस स्टेशन, पेट्रोलियम स्टोरेज अधिष्ठापन, सडकों द्वारा परिवहन करने हेतु टैंक-ट्रकों की अनुमति, एयरक्राफ्ट रिफ्युलर का अनुज्ञापतिकरण और साथ ही डॉक एन्ट्री, मॅन एन्ट्री और हॉट वर्क हेतु पेट्रोलियम ले जा रहे पात्रों/जहाजों को गैस फ्री सर्टिफिकेट प्रदान करना।

### **2.1.6: कैलशियम कार्बाईड नियम, 1987**

कैलशियम कार्बाईड को ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत ज्वलनशील पदार्थ घोषित किया गया है और उसके लिए पेट्रोलियम अधिनियम लागू किया गया है। कैलशियम कार्बाईड नमी के साथ जुड़कर एसिटिलीन गैस निर्मित करती है, जिसकी विस्फोटक सीमाएं अति विस्तृत हैं। कैलशियम कार्बाईड को भरने के पात्रों को अनुमोदन देने तथा बिक्री या एसिटिलिन के निर्माण हेतु कैलशियम कार्बाईड के भण्डारण के लिए अनुज्ञापतियां देने का कार्य इन नियमों के अंतर्गत संगठन को सौंपा गया है।

### **2.1.7: चलचित्र फिल्म नियम, 1948**

चलचित्र फिल्मों, जिनमें नाइट्रो-सेलुलोज आधार रहता है, उनका भण्डारण और परिवहन बड़े पैमाने में अग्नि बाधा उत्पन्न करते हैं। इन नियमों के अंतर्गत ऐसी फिल्मों के भण्डारण और परिवहन का कार्य शासित है तथा भण्डारण के परिसरों का अनुज्ञापतिकरण इस संगठन द्वारा किया जाता है। काफी समय से नाइट्रो-सेलुलोज आधारित फिल्मों से सुरक्षा फिल्मों, (पॉलिएस्टर आधार) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। अतः यह नियम निरर्थक हो गए हैं तथा इन्हें हटाए जाने की सिफारिश की गई है।



## 2.2: परामर्शकारी भूमिका

विस्फोटकों, पेट्रोलियम, कार्बाईड ऑफ कॅल्शियम, गैस सिलेण्डर्स, दाब पात्रों और अन्य खतरनाक वस्तुओं में आग और विस्फोट रोकने हेतु विशेष तकनीकी और सुरक्षा पहलुओं में विशेषज्ञता लिए, संगठन परामर्श प्रदान करता है। संगठन न केवल उद्योग के लिए वरन सरकारी तथा अर्ध-सरकारी संस्थाएं जैसे बंदरगाह, रेलवे, रक्षा-संगठनों, भूतल परिवहन मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, पेट्रोलियम तथा नैसर्गिक गैस मंत्रालय, प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण, आदि के लिए भी परामर्श प्रदान करता है।

संगठन भारतीय मानक ब्यूरो के संबंधित मानकों के फॉरमुलेशन, बंदरगाहों के उप-नियम, इंडियन रेड टैरिफ और खतरनाक वस्तुओं के रेल-मार्ग, भूमि-मार्ग, जल-मार्ग और वायु-मार्ग संबंधित परिवहन के विनियमनों के निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है।

मुख्य विस्फोटक नियंत्रक पर्यावरण तथा वन मंत्रालय द्वारा गठित सेंट्रल क्रायसिस ग्रुप के सदस्य हैं और अन्य अधिकारी भी राज्य तथा जिला स्तर पर सेंट्रल क्रायसिस ग्रुप का प्रतिनिधित्व करते हैं।

## संगठन के कार्यों का संक्षिप्त विवरण

3. 1 : निम्नांकित के सम्बन्ध में साईट-ले-आउट व विनिर्माण नक्शों की संविक्षा तथा मूल्यांकन (अप्रैजल):

- विस्फोटक विनिर्माण कारखाने
- विस्फोटक भंडारण परिसर
- आतिशबाजी विनिर्माण कारखाने
- आतिशबाजी गोदाम तथा दूकाने
- बल्क मिक्सींग तथा डिलीवरी वाहनो (बी.एम.डी) द्वारा साईट पर विस्फोटकों का उत्पादन
- गैस सिलेण्डर भरण संयंत्र
- सीएनजी डिस्पेन्सिंग स्टेशन
- गैस से भरे सिलेण्डरों के लिये भंडारण शेड
- दाब पात्रों में संपीडित गैसेस हेतु प्रपुंज भण्डारण अधिष्ठापन
- आटो एलपीजी डिस्पेन्सिंग स्टेशन
- पेट्रोलियम भंडारण शेड
- पेट्रोलियम टैंक लॉरिज
- पेट्रोलियम क्रास कंट्री पाईपलाईन्स
- पेट्रोलियम सर्विस स्टेशन
- कैलशियम कार्बाइड भंडारण परिसर

3. 2 : विस्फोटक वैन, बल्क मिक्सिंग तथा डिलीवरी वाहनो (बी.एम.डी.) द्वारा साईट पर विस्फोटकों का उत्पादन, दाबपात्रों में बल्क संपीडित गैस/क्रायोजनिक लिक्विड के परिवहन के लिए वाहन, सुरक्षा फिटिंग सहित पेट्रोलियम कंटेनर और टैंक लॉरी के डिजाईन व रचना, इन सभी प्रस्तावों के अनुमोदन हेतु संवीक्षा तथा उनका मूल्यांकन।

3. 3 : उपरोक्त संदर्भित 3.1 तथा 3.2 के अंतर्गत परिसरों/ईकाइयों/वाहनो आदि के अनुज्ञप्ति से सम्बन्धित कार्य।

3. 4 : अनुमोदन जारी करने हेतु पेट्रोलियम परिष्करणों, पेट्रोकेमिकल इकाइयों, कैलशियम कारबाईड कारखानों तथा एसीटीलीन गैस जनरेटिंग संयंत्र के लेआउट, आदि की संवीक्षा एवं मुल्यांकन।
3. 5 : लिक्विड हायड्रोकार्बन्स के साथ साथ अन्य ज्वलनशील गैसेस/खतरनाक रसायनों हेतु डिजाईन, निर्माण, पाईपलाईन के लेईंग एवं ऑपरेशन आदि के प्रस्तावों को अनुमोदन जारी करने हेतु उनकी संवीक्षा एवं मुल्यांकन।
3. 6 : भारत में निर्मित और आयातित दाब पात्रों तथा उनके फिटिंग्स के डिजाईन प्रस्तावों को अनुमोदन जारी करने हेतु उनकी संवीक्षा एवं मुल्यांकन।
3. 7 : भारत में निर्मित और आयातित गैस सिलेण्डरों तथा उनमें लगे वॉल्वों, एलपीजी रेगुलेटरों सहित, के डिजाईन प्रस्तावों को अनुमोदन जारी करने हेतु उनकी संवीक्षा एवं मुल्यांकन।
3. 8 : भारत में निर्मित और आयातित अज्वलनशील, आंतरिक रूप से सुरक्षित तथा ज्वलनशील गैसों/वाष्पों से भरे संकटपूर्ण स्थानों के लिए उपयोगी विशेष विद्युत उपकरणों के प्रस्तावों के अनुमोदन हेतु उनकी संवीक्षा तथा मुल्यांकन।
3. 9 : दाबपात्र और उनकी फिटिंग निर्माण करनेवाले कारखानों के प्रस्तावों के अनुमोदन हेतु उनकी संवीक्षा तथा मुल्यांकन।
- 3.10 : सिलेण्डर परीक्षण केन्द्रों को मान्यता प्रदान करने के लिए सिलेण्डरों के आवधिक परीक्षण हेतु परीक्षण केन्द्रों के प्रस्तावों के अनुमोदन के लिए उनकी संवीक्षा तथा मुल्यांकन।
- 3.11 : विभिन्न नियमों के अन्तर्गत सक्षम व्यक्तियों एवं निरीक्षकों को मान्यता।
- 3.12 : शॉट फायरर परमिट और फोरमेन प्रमाणपत्र जारी करना।
- 3.13 : उपरोक्त उल्लेखित ईकाइयों की नियमित जांच।
- 3.14 : खराब, दावा न किए हुए/अनुपयोगी/जब्तशुदा विस्फोटकों का नष्टीकरण।
- 3.15 : हॉट वर्क, पेट्रोनियम टैंकों में मैन एन्ट्री तथा डॉक में इन पात्रों के प्रवेश होने से पूर्व इनके लिए गैस-फ्री प्रमाण पत्र देने के लिए पात्रों का परीक्षण करना।
- 3.16 : विभाग द्वारा संचालित अधिनियम और नियमों के अंतर्गत आनेवाले पदार्थों से जुड़ी दुर्घटनाओं के कारण एवं किए गए उल्लंघन को जानने हेतु दुर्घटनाओं की जांच करना।
- 3.17 : विस्फोटकों के आयात, निर्यात एवं परिवहन के लिए अनुज्ञप्ति जारी करना।
- 3.18 : पर्याप्त परीक्षण और जांच के बाद नये विस्फोटकों को अधिकृत करना।

- 3.19 : आयात किए हुए और भारत में निर्मित सभी गैस सिलेण्डरों के भरण/उपयोग लिए अनुमति देना।
- 3.20 : गैस सिलेण्डरों एवं दाबपात्रों के आयात के लिए अनुज्ञप्ति/परमिट जारी करना।
- 3.21 : विभिन्न नियमों के अंतर्गत आवधिक विवरणी की संवीक्षा।
- 3.22 : नियमों में संशोधन एवं पुनरीक्षण तथा जन-सुरक्षा में, जहां भी जरूरी हो, छूट देना।
- 3.23 : बन्दरगाह, हवाई अड्डा और रेलवे अधिकारियों को निम्नलिखित अनुरोध पर सलाह देना:—
- अ. संकटमय वस्तुओं का वर्गीकरण ।
- ब. खतरनाक वस्तुओं का भंडारण/परिवहन के लिए पैकिंग व शर्तों का निर्धारण ।
- स. विस्फोटकों को लादने/उतारने और परिवहन की सुविधाओं के लिए स्थान, विस्फोटक, ज्वलनशील एवं अन्य खतरनाक पदार्थों के ट्रांजिट भंडारण के लिए स्थान का चयन।
- 3.24 : खतरों के वर्गीकरण के लिए विस्फोटक/संकटमय वस्तुओं की जांच/परीक्षण।
- 3.25 : उपर वर्णित अधिनियमों और नियमों से सम्बन्धित खतरनाक पदार्थों, विस्फोटक, ज्वलनशील व अन्य खतरनाक वस्तुओं के मामले में केन्द्र व राज्य सरकार, उद्योग और अन्य संगठनों को सलाह देना।
- 3.26 : रक्षा मंत्रालय, भारतीय मानक संस्थान (बी.आई.एस.) और अन्य मंत्रालयों व विभागों द्वारा नियुक्त अनेक समितियों में बतौर अध्यक्ष या सदस्य के रूप में भाग लेना।
- 3.27 : खतरनाक रासायनों को सुरक्षित तरीके से संभालने, पेट्रोलियम-उत्पाद, विस्फोटक तथा संपीडीत गैसों से सम्बन्धित अनेक संगठनों द्वारा आयोजित संगोष्ठियों, सिंपोजियम्स और कार्यशालाओं में भाग लेना।

## प्रशासन, बजट और अवसंरचना

वर्तमान में इस संगठन में 137 ग्रुप – ए अधिकारी और 343 ग्रुप बी, सी, और डी कर्मचारियों की स्वीकृत क्षमता है। उपरोक्त पदों में से ग्रुप ए 46 पद और ग्रुप बी,सी तथा डी में 6 पद विभिन्न प्रशासनिक करणों से रिक्त है। पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन, मुख्य विस्फोटक नियंत्रक नागपुर के अधीन है और इसका मुख्यालय नागपुर में है। इसके 5 अंचल कार्यालय हैं जो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, फरीदाबाद एवं आगरा में स्थित हैं। इस संगठन में 13 उप अंचल कार्यालय एवं 5 कारखानों के साथ जूड़े हुए कार्यालय हैं। (विवरण हेतु अनुलग्नक – 1 देखें)

### बजट एवं व्यय

वर्ष के दौरान संगठन को नॉन प्लान बजट में रूपये 20,50,00,000/- तथा प्लान बजट में रूपये 1,98,00,000/- की स्वीकृती प्रदान की गई थी। वर्ष के दौरान नॉन प्लान बजट में रूपये 20,44,13,259/- एवं प्लान बजट के तहत रूपये 1,97,05,417/- का व्यय किया गया।

### राजस्व

इस वर्ष के दौरान संगठन द्वारा रूपये 57,03,86,690/- अर्जित किये गये तथा विस्फोटक अधिनियम से रूपये 33,87,67,893/- एवं पेट्रोलियम अधिनियम से रूपये 23,16,18,797/- फीस के रूप में प्राप्त हुए।

राजस्व एवं व्यय (नॉन प्लान)

## विभागीय परीक्षण केन्द्र और आतिशबाजी अनुसंधान एवं विकास केन्द्र

### परिचय

विभागीय परीक्षण केन्द्र नागपुर से 18 कि.मी. की दूरी पर नागपुर – अमरावती रोड नेशनल हाईवे नम्बर 6, ग्राम गौंडखैरी जिला नागपुर में स्थित है एवं 81 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। यह परीक्षण केन्द्र मुख्य विस्फोटक नियंत्रक नागपुर के समग्र मार्गदर्शन एवं नियंत्रण में कार्यरत है।

इस विभागीय परीक्षण केन्द्र का विकास विस्फोटक अधिनियम, 1884 एवं पेट्रोलियम अधिनियम 1934 तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक सांविधिक परीक्षण कार्य के लिए किया गया है।

यह परीक्षण केन्द्र गुणता नियंत्रक संबंधी परीक्षण तथा उद्योग के उपभोक्ताओं को विभिन्न सामग्री एवं उपकरणों के परीक्षण का कार्य करता है, विशेषतः विस्फोटक विनिर्माण हेतु अपनी सेवाएं देता है।

संगठन में विभागीय परीक्षण केन्द्र गौंडखैरी नागपुर में भारत वर्ष में सर्व प्रथम खतरनाक पदार्थ निर्यात संबंधी संयुक्त राष्ट्रसंघ के अनुमोदन के अनुसार यू.एन.वर्गीकरण परीक्षण की सुविधा विकसित की है।

### **कार्याधिकार :-**

#### 1) सांविधिक परीक्षण

संख्या	नियम	परीक्षण का उद्देश्य
1	विस्फोटक नियम 2008	<ol style="list-style-type: none"> <li>विस्फोटक पदार्थों के प्रस्तावित नए उत्पादों को प्राधिकृत करने के संबंध में।</li> <li>प्राधिकृत विस्फोटक की सूची में रहने दिया जाए अथवा हटा दिया जाए, यह निर्णय लेने हेतु अनुवर्ती वार्षिक परीक्षण।</li> <li>विस्फोटको के पैकेजेस का अनुमोदन।</li> </ol>
2	पेट्रोलियम नियम, 2002	<ol style="list-style-type: none"> <li>टैंक लॉरी की सेफ्टी फिटिंग्स की डिजाइन का अनुमोदन।</li> <li>विनिर्माण अनुमोदन के पुनर्विधिमान्यकरण के लिए अनुवर्ती परीक्षण।</li> <li>पेट्रोलियम के मेटल कंटेनर का अनुमोदन।</li> </ol>

3	गैस सिलेण्डर नियम, 2004	भारतीय मानक ब्यूरो के संगत मानकों के अनुसार उपलब्ध एलपीजी एवं संपीडित गैस सिलेण्डर के लिए सांविधिक परीक्षण की सुविधा उपलब्ध।
4	स्थिर तथा गतिशील दाबपात्र (अज्वलित) नियम, 1981	परीक्षण कार्य विकासाधीन।

## 2) गुणता नियंत्रण परीक्षण

परीक्षण केन्द्र, संगठन द्वारा प्रशासित अधिनियमो/नियमो के अंतर्गत किए गए उत्पादन के कार्यक्षेत्र में गुणता परीक्षण सेवाएं भी देता है।

## 3) यू.एन. वर्गीकरण परीक्षण (विस्फोटको के निर्यात के लिए नई सीमा)

खतरनाक माल के परिवहन के लिए यू.एन.विनियमन के अनुसार विस्फोटक उत्पादन, विशेषतापूर्ण पैकेजिंग डिजाईन के साथ, विस्फोटक उद्योगो को अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपने उत्पादन का निर्यात प्रतियोगी कीमत परे करने के लिए, विभागीय परीक्षण केन्द्र द्वारा यू.एन.वर्गीकरण परीक्षण की सुविधा देने की शुरुवात की है।

परीक्षण परिणाम मुल्यांकन के निर्धारण के पश्चात विशेषता-पूर्ण पैकेजिंग डिजाईनवाले उत्पादन का ग्रुप बीआईएस के अनुरूप 1.4 में वर्गीकृत किए जाते है। महानिदेशक जहाजरानी विभागीय परीक्षण केन्द्र के निर्धारण एवं परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। निर्यातक अपने 1.4 वर्गीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त उत्पादन जनरल कार्गो शिप के द्वारा शिप कर सकते है, बजाए विस्फोटक कार्गो शिप से जिससे माल-भाडे में काफी बचत होगी। सभी निर्यातक इन जहाजों की आसान सुविधा का लाभ उठाते है जिससे वह अपना माल समय से पहुंचा सकते है क्योंकि विस्फोटक कार्गो शिप की सिमित उपलब्धता के कारण माल पहुंचाने में विलंब होता है।

## 4) नमूनों का परीक्षण

विभागीय परीक्षण केन्द्र में वर्ष के दौरान निम्नांकित नमूनों की जांच की गई :-



संख्या	वर्णनात्मक	मात्रा
1.	विस्फोटक	
	स्लरी/इमलशन वर्ग 2	174
	पेन्टोलाईट बूस्टर वर्ग – 3 प्रभाग 2	25
	आतिशबाजी	174
	सेपटी फ्यूज	06
	गन पाउडर	05
	डिटोनेटर	232
	डिटोनेटिंग फ्यूज	32
2.	विस्फोटक के सीएफबी पैकेजेस	0
	प्रस्तावित नए अनुमोदन के नमूने	05
	अंचल/उपांचल अधिकारियों द्वारा प्राप्त नमूने	121
3.	पेट्रोलियम टैंक लॉरी सेपटी फिटिंग्स	0
	नए अनुमोदन हेतु	0
	पुनः वैधता हेतु	28
	कुल	802

5) विस्फोटको का निस्तारण

परीक्षण केन्द्र में बचे हुए नमूनों का निस्तारण –

वर्ग 1	1686 किलोग्राम
वर्ग 2	1860 किलोग्राम
वर्ग 3 प्रभाग 2	152 किलोग्राम
वर्ग 6 प्रभाग 1	475.4 मीटर
वर्ग 6 प्रभाग 2	1070 मीटर
वर्ग 6 प्रभाग 3	3663 संख्या
वर्ग 7 प्रभाग 2	.....

राजस्व

वर्ष के दौरान विभागीय परीक्षण केन्द्र ने रुपये 60,46,265/- राजस्व अर्जित किया।

## आतिशबाजी अनुसंधान एवं विकास केन्द्र (एफ.आर.डी.सी.) सिवाकासी

मा. सुप्रीम कोर्ट के दि. 18.07.2005 केस डब्ल्यू.पी. (सिविल नं. 72 – 1998) के निर्णय में दिए गए निर्देशानुसार, पेसो द्वारा सिवाकासी में प्लान स्कीम के तहत समय से एफ.आर.डी.सी. के निर्माण का कार्य शुरू किया गया।

दसवे प्लान के अंतर्गत एफ.आर.डी.सी. के सिविल स्ट्रक्चर का कार्य हाथ में लिया गया था, जो पूर्ण कर लिया गया है। निष्पादित काम में 2.02.5 हेक्टर भूमि की खरीद, उसके चारों ओर दीवार, बोरवेल, पानी की पाईपलाइन, लाईट पोस्ट, आंतरिक सड़के, मुख्य इमारत आवास प्रयोगशालाओं और संबद्ध सुविधाएं, आदि शामिल हैं। ग्यारहवी योजना के तहत एफ.आर.डी.सी. को पूर्ण रूप से ऑपरेशनल करने हेतु उसे तकनीकी और गैरतकनीकी मैनपावर निर्देशों से समर्थ करना प्रस्तावित है।

माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसरण में, पेसो द्वारा किए गए विभिन्न समानांतर उपायों के परिणाम निम्नानुसार हैं :

पेसो द्वारा आतिशबाजियों को ध्वनीवाले पटाखों और कलर/लाईट वाले पटाखों में वर्गीकृत किया गया है तथा अपेक्स कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन करते हुए आतिशबाजियों की प्राधिकृत सूची संशोधित की गई। जी.एस.आर. सं. 225 दि. 06.09.2006 के भारत के राजपत्र, भाग – II, धारा – 3, उपधारा (i) में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा प्रकाशित किया गया है। एमईपीसीओ, स्कलेन्क इंजिनियरिंग कॉलेज, सिवाकासी के तकनीकी सहायता से, पेसो द्वारा ध्वनीवाले पटाखों के मिश्रण का विकास किया जो पर्यावरण के मानकों द्वारा निर्धारित सीमा में है। भारत सरकार की दि. 05.10.99 की अधिसूचना सं. जीएसआर 682 (ई) में दिए गए आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु चार सामान्यतः उपयोग में लाए जानेवाले ध्वनी पटाखों— 1, एंटम बॉम्ब, 2. चायनीज पटाखे, 3. मरुन्स, पटाखे 4. गारलैंड पटाखों के रसायनिक आकार/प्रकार के विशेष संदर्भ में, उनके विनिर्माण में उसके अनुपात/संरचना साथ ही उसमें उपयोग किए गए हर एक रसायन के अधिकतम अनुमति प्राप्त वजन आदि समीकरण (फॉर्मूला) विनिर्दिष्ट करता है।

यह समीकरण भारत के सभी विनिर्माणकर्ताओं को सख्ती से अनुपालनार्थ दिया गया है। आम जनता के साथ ही इससे संबंधित सभी के जानकारी हेतु इसे पेसो की वेबसाइट <http://peso.gov.in> पर भी उपलब्ध किया गया है।

## ई – गवर्नेन्स

11 वी पंचवार्षिक योजना के अंतर्गत ई – गवर्नेन्स को जारी रखते हुए पेसो द्वारा निम्नलिखित लक्ष्य हासिल किये गए –

पांच अंचल कार्यालयों के लिए 2 एमबीपीएस स्पीड की अपग्रेडेड लिज्ड लाइन। इसी तरह 13 उप – अंचल कार्यालयों के लिए लीज्ड लाइन की स्पीड 512 केबीपीएस तक बढ़ाई गई है।

कारखानों से संलग्न भंडारा, वर्धा, ललितपुर, वेल्लोर और गोमिया स्थित कार्यालयों को भी 512 केबीपीएस लीज्ड लाइन के साथ EXPLONET WAN नेटवर्क में लाया गया। विभागीय परीक्षण केन्द्र, गोंडखैरी तथा एफआरडीसी, सिवाकासी को भी 512 केबीपीएस लीज्ड लाइन कनेक्टिविटी प्रदान की गई।

सभी विस्फोटक विनिर्माता अपने दैनिक उत्पादन का विवरण दैनिक आधार पर ऑनलाइन प्रस्तुत कर रहे हैं। सभी विनिर्माताओं द्वारा आरई-7 ऑनलाइन प्रस्तुत करने के संबंध में 100% सफलता हासिल की गई है।

एलई –3 (कब्जा और बिक्री) के अंतर्गत लगभग सभी अनुज्ञप्तीधारकों में से 85% से अधिक ने ऑनलाईन आरई-7 (विस्फोटक की विवरणी) हेतु रजिस्ट्रेशन किया है और वे उनकी तिमाही विवरणी, आरई –7 ऑनलाईन सुविधा की सहायता से प्रस्तुत कर रहे हैं।

जिन अनज्ञप्तीधारकों ने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया या फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी आरई – 7 ऑनलाइन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं उन्हें ऑनलाईन कारण बताओं (शो कॉज) नोटिस जारी की जा रही है।

विस्फोटकों के ट्रैन्जैक्शन की निगरानी को और भी सशक्त करने के लिए पेसो द्वारा सभी विनिर्माताओं के लिए आरई – 12 (विस्फोटक के परिवहन के लिए स्थानांतरण) के ऑनलाइन जनरेशन की सुविधा शुरू की गई है।

सभी विनिर्माता उनके आरई-12 अनिवार्य रूप से ऑनलाइन प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे उन्हें उनके बिक्री प्रविष्टियों से संबंधित आरई-7 त्रैमासिक विवरणी बनाना सुगम हो रहा है।

आंतरिक कार्यालयों को बेहतर सुविधा देने के लिए और आरई-7 के माध्यम से बल्क में प्राप्त किए जा रहे डेटा को समायोजित करने के लिए इंटरनल स्टोरेज 2 टेरा बाइट तक बढ़ाया गया है।

मौजूदा सॉफ्टवेयर के बेहतर कार्य निष्पादन के लिए SAN स्टोरेज के साथ नये RACK सर्वर उपयोग में लाए गए हैं।

फॉर्म आरई-12 और फॉर्म आरई-7 के ऑनलाइन जमा करने के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निकट भविष्य में मौजूदा 4 एमबीपीएस के इंटरनेट गेटवे को अपग्रेड करके उसकी डेडीकेटेड प्रवाहक्षमता 10 एमबीपीएस करने की योजना बनाई गई है।

पांच अंचल कार्यालयों और मुख्यालय, नागपुर के लिए शीघ्र ही वीडियो कान्फ्रेंसिंग सिस्टम इंस्टॉल तथा कमीशन की जाएगी।

इसके अलावा 11 वी पंचवार्षिक योजना के तहत विकसित नए एप्लिकेशन मॉड्यूल्स का कठोर परीक्षण किया जा रहा है। इन एप्लिकेशन मॉड्यूल्स से अनुज्ञप्तीधारकों को पेसो द्वारा प्रशासित विभिन्न नियमों के तहत आवेदन के ऑनलाइन जमा करने में सुविधा होगी।

**मुख्य विस्फोटक नियंत्रक की बैठकें-संगोष्ठियाँ-व्याख्यान-प्रशिक्षण कार्यक्रम-विदेश यात्राएं**

- हैदराबाद स्थित विस्फोटक विनिर्माण इकाइयों तथा मेटल क्लैडिंग इकाइयों का निरीक्षण।
- मेसर्स गल्फ ऑइल कारपोरेशन लि. हैदराबाद के विस्फोटक विनिर्माण कारखाने का निरीक्षण।
- मेसर्स भारत ओमान रिफायनरी, बीना का निरीक्षण।
- मेसर्स आय.ओ.सी.एल. रिफायनरी, पानीपत का निरीक्षण।
- मेसर्स आयएसपीआरएल, विशाखापटनम के क्रूड कैवर्न का निरीक्षण।
- मेसर्स रिलायंस तथा इस्सार ऑइल रिफायनरी सुविधा जामनगर का निरीक्षण तथा गांधीधाम स्थित गैस सिलेण्डर विनिर्माण इकाइयों का निरीक्षण।
- विस्फोटकों के विनिर्माण, हैण्डलिंग, भण्डारण तथा परिवहन के दौरान सुरक्षा से संबंधित विस्फोटक विनिर्माताओं की बैठक को संबोधित।
- पेसो के कार्यालयों के स्थानांतरण (रिलोकेशन) के बारे में डीआयपीपी के साथ बैठक में उपस्थित।
- पेट्रोलियम तथा नैसर्गिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली में वर्ष 2009-10 के लिए ओआयएसडी पुरस्कार समिति की बैठक में उपस्थित।
- डीआयपीपी, नई दिल्ली में ड्राफ्ट अमोनियम नाइट्रेट नियम से सम्बन्धित बैठक में सहभाग।
- एसआययू के साथ बैठक में उपस्थित।
- अध्यक्ष, ओआयएसडी, सुरक्षा परिषद तथा पेट्रोलियम तथा नैसर्गिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली के सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उपस्थित।

संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक (I), नागपुर की बैठकें-संगोष्ठियां – व्याख्यान-प्रशिक्षण कार्यक्रम – विदेश यात्राएं

1. डीआयपीपी, नई दिल्ली में आयोजित बैठक में उपस्थित।
2. कोट्टयम केरल में भारतीय मानक ब्यूरो की एमई 16 की बैठक में उपस्थित।
3. भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के एमई 38 की बैठक में उपस्थित।
4. एसआययू, नई दिल्ली में आयोजित बैठक में उपस्थित।
5. मेसर्स भारत ओमान रिफायनरी, बीना की नई रिफायनरी और पेट्रोलियम भण्डारण का निरीक्षण।
6. पानीपत रिफायनरी, आयओसीएल, मथुरा रिफायनरी का निरीक्षण।
7. सिवाकासी में आटोमेशन मेकेनिज्म के दो आतिशबाजी कारखानों का निरीक्षण।
8. नवीन और नवीकरणीय, ऊर्जा मंत्रालय द्वारा हेलसिगबर्ग, स्वीडन में "एनर्जी ऑफ बायोमास" के अध्ययन हेतु भारतीय प्रतिनिधि मंडल में सहभाग।
9. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा ग्रेटर नोएडा में "अपस्केलिंग ऑफ बायोमास" विषय पर आयोजित संगोष्ठी में सहभाग।
10. ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल गैस मैनुफैक्चरर्स असोसिएशन द्वारा कौलालम्पूर, मलेशिया में आयोजित सम्मेलन में अतिथि के रूप में व्याख्यान तथा सुरक्षा मामलों से जुड़े तकनीकी सत्र में अध्यक्षता।

संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक (II), नागपुर की बैठकें-संगोष्ठियां – व्याख्यान-प्रशिक्षण कार्यक्रम – विदेश यात्राएं

1. ओआयएसडी 141 मे संशोधन एवं उसे अंतिम रूप देने जैसे विशिष्ट मुद्दो तथा अन्य मामलों पर ओआयएसडी की बैठक मे उपस्थित ।
2. सेंट्रल क्रायसिस ग्रुप की पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली में दि. 26.06.2010 को हुई बैठक मे उपस्थित ।
3. पेट्रोफेड, नई दिल्ली द्वारा “सेफटी इन हायड्रोकार्बन सेक्टर” फ्रॉम ड्रिलिंग टू डिस्पेन्सिंग पर दि. 12.08.2010 को हुई एक दिवसीय संगोष्ठी में उपस्थित ।
4. पेसो द्वारा विस्फोटकों के प्रभावी मॉनिटरिंग, ट्रेकिंग हेतु वेंडर फायनलायजेशन के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, डीआयपीपी द्वारा गठित कन्सल्टन्सी इवॅलुएशन कमिटी की दि. 14.02.2011 को हुई पहली बैठक मे उपस्थित ।
5. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, डीआयपीपी द्वारा गठित कन्सल्टन्सी इवॅलुएशन कमिटी की दि. 22.02.2011 की दुसरी बैठक में उपस्थित ।
6. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, डीआयपीपी द्वारा गठित कन्सल्टन्सी इवॅलुएशन कमिटी की दि. 15.03.2011 की तीसरी बैठक में उपस्थित ।
7. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, एच एस एम विभाग, नई दिल्ली द्वारा दि. 23.08.2010 को क्रायसिस ग्रूप द्वारा बुलाई गई 12 वी बैठक में उपस्थित ।
8. भारतीय मानक ब्यूरो की मुंबई मे सीमएमडी – III के अंतर्गत इटी –22 समिति की बैठक में उपस्थित ।
9. दिल्ली हवाई अड्डे के नए टर्मिनल पर नव स्थापित फ्युल हायड्रंट सिस्टिम का दि. 28.06.2010 को निरीक्षण ।
10. दि. 23.02.2011 से 26.02.2011 के बीच गोवा मे मेसर्स आयओसीएल द्वारा आयोजित दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय विमानन सम्मेलन में उपस्थित ।

## संगठन के अधिकारियों की बैठकें—संगोष्ठियां—व्याख्यान—प्रशिक्षण कार्यक्रम —विदेश यात्राएं

1. संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, पश्चिम अंचल, मुंबई द्वारा महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य के विस्फोटक विनिर्माण कारखानों के वरिष्ठ प्रबंधकों के लिए विस्फोटक का व्यवहार (ट्रैन्जेकशन ऑफ एक्सप्लोजिक्स) विषय पर दि. 21.05.2010 को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।
2. संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, पश्चिम अंचल, मुंबई द्वारा दि. 09.06.2010 को स्थिर तथा गतिशील दाबपत्र (अज्वलित) नियम, 1981 के अंतर्गत सक्षम व्यक्तियों की बैठक आयोजित की गई।
3. संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, पश्चिम अंचल, मुंबई द्वारा दि. 06.08.2010 को कार्यालय में तेल उद्योग के अधिकारियों के साथ विभिन्न सुरक्षा मामलों की चर्चा करने हेतु बैठक आयोजित की गई।
4. जहाजरानी मंत्रालय के संयुक्त सचिव, एनडीएमए के संयुक्त सचिव तथा एमओईएफ के उप-निदेशक के साथ दि. 07.10.2010 को पोर्ट हाऊस, मुंबई में संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, पश्चिम अंचल, मुंबई बैठक में उपस्थित। बैठक दि. 14.07.2010 को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में क्लोरिन रिसाव के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने हेतु आयोजित की गई थी।
5. संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, पश्चिम अंचल, मुंबई द्वारा दि. 28.01.2011 को मेसर्स एचपीसीएल रिफायनरी, माहुल, मुंबई के सभी विभागीय प्रमुखों को व्याख्यान। एमएसएच आयसी. नियम, 1989, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेन्ट नियम, 2008 तथा पेट्रोलियम नियम, 2002, गैस सिलेण्डर नियम, 2004 एवं एसएमपीवी नियम 1981 से उत्पन्न अन्य सुरक्षा मानकों के कार्यन्वयन के संबंध में इस व्याख्यान का आयोजन किया गया।
6. संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, मुंबई द्वारा दि. 10.03.2011 को मेसर्स आयओसीएल, कोयाली रिफायनरी, बडौदा के महाप्रबंधक तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का आयोजन टैंकफार्म परिसर में बिजली कंडक्टर प्रणाली को हटाने के बारे में था।
7. संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, मुंबई द्वारा दि. 10.03.2011 को जीएआयएल (गेल), बडौदा के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गुजरात राज्य के विभिन्न स्टेशनों पर सीएनजी सिलेण्डरों में पाई गई अशुद्धता के बारे में बैठक का आयोजन किया गया।
8. संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, मुंबई द्वारा दि. 28.10.2010 को एलईआरसी बंगलौर में 24 वी ई-सी बैठक में उपस्थित।



9. उप-मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, बडौदा द्वारा दि. 08.04.2010 को जीएसडीएमए, गांधीसागर द्वारा आयोजित बैठक में उपस्थित। बैठक गुजरात राज्य में हो रही औद्योगिक रासायनिक दुर्घटनाओं/आपदाओं के संदर्भ में की जा रही कार्रवाई पर चर्चा करने हेतु आयोजित की गई थी।
10. उप-मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, बडौदा द्वारा गुजरात विस्फोटक व्यापारियों के साथ दि 24.04.2010 को नए विस्फोटक नियम, 2008 पर संगोष्ठी का आयोजन किया।
11. उप-मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, बडौदा द्वारा दि. 23.06.2010 को जीएसीएल, दहेज में 'सेपटी इन हजार्डस एटमॉसफियर' विषय पर व्याख्यान दिया। इस व्याख्यान में कंपनी के सभी प्रबंधकों, इंजिनियरों द्वारा भाग लिया गया।
12. उप-मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, पश्चिम अंचल, मुंबई ने दि. 31.07.2010 को खंडाला में अखिल भारतीय गैस विनिर्माता संघ द्वारा आयोजित कार्यशाला में उपस्थित हुए एवं इस अवसर पर मुख्य भाषण दिया। इस कार्यशाला में संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और भारत से लगभग 50 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
13. उप-मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, मुंबई ने दि. 02.03.2011 को मेसर्स संचुरी रेयॉन लिमिटेड, कल्याण में आयोजित सुरक्षा सप्ताह में उपस्थित हुए तथा क्लोरिन सिलेण्डरो का प्रयोग एवं हैण्डलिंग पर प्रमुख भाषण दिया।
14. उप-मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, मुंबई ने दि. 26.03.2011 को गैस विनिर्माता संस्था महाराष्ट्र द्वारा आयोजित संगोष्ठी में उपस्थित होकर प्रमुख भाषण दिया।
15. उप-मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, उत्तर अंचल, फरीदाबाद सीएफईई कार्यालय, डीआरडीओ, नई दिल्ली में एसटीईसी (स्टेक) के क्वान्टिटी डिस्टेंस (क्यूडी) पैनल की बैठक में उपस्थित हुए। दि. 06.04.2010 को हुई इस बैठक की अध्यक्षता एचईएमआरएल, पुणे के श्री राव द्वारा की गई।
16. उप-मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, फरिदाबाद नैशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नई दिल्ली में पीओएल टैंकर्स विषय पर हुई बैठक में उपस्थित।
17. उप-मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, फरिदाबाद केमिकल (इंडस्ट्रियल) डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट विषय पर नैशनल एक्शन प्लान पर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ऑफिस, नई दिल्ली में हुई बैठक में उपस्थित।
18. उप-मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, फरिदाबाद दि. 14.07.2010 को (स्टेक) एसटीईसी की डीआरडीओ भवन, नई दिल्ली में हुई बैठक में उपस्थित।

19. उप-मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, फरिदाबाद दि. 12.08.2010 को पेट्रोफेड, नई दिल्ली द्वारा "सेफ्टी इन हायड्रोकार्बन सेक्टर : ड्रिलिंग टू डिस्पेन्सिंग" विषय पर आयोजित संगोष्ठी में उपस्थित।
20. संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, पूर्वांचल, कोलकाता द्वारा दि. 18.07.2010 को हल्दिया रिफायनरी में पेट्रोलियम तथा विस्फोटक अधिनियमों पर व्याख्यान दिया गया।
21. संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, दक्षिणांचल, चेन्नई 'आतिशबाजी की दुकानों को खुली जगह में स्थानांतरित करना' विषय पर आयोजित बैठक में उपस्थित।
22. संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, दक्षिणांचल, चेन्नई द्वारा दि. 24.11.2010 को तमिलनाडु पुलिस अकादमी, वांदालुर, चेन्नई द्वारा आयोजित 'इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस अंडर आर्म्स एण्ड एक्सप्लोजिक्स एक्ट' विषय पर व्याख्यान दिया गया।
23. उप-मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, चण्डीगढ़ द्वारा दि. 06.09.2010 को सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग स्कूल, चण्डीगढ़ में देश के उत्तरी राज्यों के पुलिस अधीक्षक रैंक के पुलिस अधिकारियों को व्याख्यान दिया। व्याख्यान का विषय था "प्रोवीजन्स ऑफ एक्सप्लोजिक्स एक्ट, 1884/एक्सप्लोजिक्स रूल्स, 1983-कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्सप्लोजिक्स डिपार्टमेंट विद पुलिस इन मेन्टेनिंग लॉ एण्ड ऑर्डर"।
24. उप-मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, इलाहाबाद कार्यालय के विस्फोटक नियंत्रक ने दि. 10.07.2010 को "सेफ्टी एण्ड अवेयरनेस ऑफ एक्सप्लोजिक्स एण्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स" विषय पर मेजा ऊर्जा निगम प्रायवेट लिमिटेड, मेजा जिला इलाहाबाद (जो एनटीपीसी तथा युपीआरवीयुएन की संयुक्त उद्यमी कंपनी है) में व्याख्यान दिया।
25. संगठन के उप-मुख्य विस्फोटक नियंत्रक तथा विस्फोटक नियंत्रक दि. 28.03.2011 से 30.03.2011 तक मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर कार्यालय में आयोजित तीन दिवसीय कार्यशाला में उपस्थित।
26. बीवीसीएल, दक्षिण क्षेत्र, चेन्नई के प्रांतीय इंजिनियरों के लिए "बैंक टू बेसिक्स" विषय पर आयोजित कार्यशाला में विस्फोटक नियंत्रक, चेन्नई उपस्थित।
27. 'न्यू टेक्निक्स ऑफ डिलिवरिंग ड्राय केमिकल पाउडर इन दी फार्म ऑफ बॉल्स इनिशियेटेड बाय फायर इटसेल्फ टू फाईट फायर एण्ड सेफ्टी फिचर्स असोसिएटेड विद मॅनुफॅक्चरिंग ऑफ इमल्शन मॅट्रिक्स एण्ड साईट मिक्स एक्सप्लोजिक्स' विषय पर दि. 12.05.2010 को संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, आगरा की अध्यक्षता में तकनीकी कार्यशाला का आयोजन।

सेवाओं में अनुसूचित जातियों/जन-जातियों/अन्य पिछड़ी जातियों/सेवानिवृत्त तथा शारिरिक रूप से विकलांग- व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व

1. अनुसूचित जातियों / जन-जातियों /अन्य पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व :

संगठन में उप-मुख्य विस्फोटक नियंत्रक के पद के एक संपर्क अधिकारी के अधीन, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों का सेल कार्य करता है। संगठन के अंचल कार्यालयों में भी इसी प्रकार के सेल कार्यरत है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों का सेल न केवल पदों के अनारक्षण (डिरिजर्वेशन) संबंधित प्रस्तावों पर देख-रेख करता है वरन अनुसूचित जातियों /अनुसूचित जन-जातियों की श्रेणियों के कर्मचारियों के सेवा मामलों के संबंध में उठने वाली शिकायतों पर भी गौर करता है, तथा उनकी शिकायतों/समस्याओं को दूर करने में उपयुक्त उपचारात्मक कार्यवाही भी करता है।

संगठन, समय-समय पर अपने नियंत्रण के अधीन प्रशासनिक अनुभागों तथा नियुक्ति करने वाले प्राधिकारियों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए आरक्षण के निर्देशों के उचित कार्यान्वयन हेतु निर्देश देता है।

संगठन में तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों में ग्रुप "ए", "बी", "सी", "डी" पदों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की संख्या का विश्लेषित विवरण, निम्नानुसार है :-

क्रमांक	पदों की श्रेणी	अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की संख्या	अनुसूचित जन-जातियों के व्यक्तियों की संख्या	अन्य पिछड़ी जातियों के व्यक्तियों की संख्या
1	ग्रुप "ए"	16	04	15
2	ग्रुप "बी"	11	01	05
3	ग्रुप "सी"	54	27	58
4	ग्रुप "डी"	23	07	10

## सेवा मे शारररक रूड से वरकलांगो का प्रतिनिधरत्व :-

शारररक रूड से वरकलांगों के लरए आरक्षण आदेशों पर प्रभावशाली ढंग से अडल करने को आशवासरत करने हेतु संगठन अथक प्रयास करता रहा है। संगठन ने शारररक रूड से वरकलांगो द्वारा भरे जाने हेतु गुड "ए", "बी", "सी", "डी" डदों को निर्धाररत करया है।

संगठन तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों में गुड "ए", "बी", "सी", "डी" डदों में शारररक रूड से वरकलांग व्यक्तियों का वरश्लेषरत वरवरण, नरडनानुसार है:-

क्रडरंक	डदो की श्रेणी	शारररक रूड से वरकलांगो की संख्या
1	गुड "ए"	1
2	गुड "बी"	0
3	गुड "सी"	4
4	गुड "डी"	3

## सतर्कता की गतिविधियां

संगठन प्रमुख, मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, संगठन की सतर्कता गतिविधियों का नेतृत्व करते हैं। मुख्यालय नागपुर के अलावा सतर्कता सेल, संगठन के देशभर के सभी अंचल एवं उपअंचल कार्यालयों में तथा परिक्षण केन्द्र में कार्यरत है। प्रत्येक अधीनस्थ कार्यालय के प्रमुख, सतर्कता सेल का नेतृत्व करते हैं तथा उनकी रिपोर्ट मुख्य विस्फोटक नियंत्रक को प्रेषित की जाती है।

निवारक सतर्कता का प्राथमिक उद्देश्य कदाचार और लालच से प्रवण या संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना है। कर्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) एवं औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग तथा संगठन के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा जारी किए गये निर्देशों एवं मार्गदर्शन का पालन किया जाता है।

सीवीसी के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसरण से संगठन के सभी कार्यालयों में 03 से 07 नवंबर, 2010 तक सतर्कता जागृकता सप्ताह मनाया गया। संगठन के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने शपथ ली तथा सभी मामलों में समय से निपटान, निष्पक्षता, पारदर्शिता संपादन करने हेतु प्रणाली में उन्नयन एवं सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रभावी निवारक उपायों के जागृकता हेतु विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए।

- संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर उस पर सतर्कता रखी जाती है।
- काम के निपटान में देरी तथा कदाचार की संभावनाओं को कम करने हेतु आम जनता के साथ नियमित कार्यालयीन व्यवहारों को अंचल एवं उप-अंचल कार्यालयों में विकेन्द्रीकृत किया गया है।
- कार्यालय प्रमुख नियमित रूप से अपने अधीनस्थ अधिकारियों की गतिविधियों को मॉनिटर करते हैं।
- अंचल के प्रमुख नियमित रूप से उप-अंचल के प्रमुखों की गतिविधियों को मॉनिटर करते हैं।
- मुख्य विस्फोटक नियंत्रक अंचल के प्रमुखों तथा मुख्यालय के अन्य अधिकारियों की गतिविधियों को मॉनिटर करते हैं।
- नामित अधिकारी तथा कार्यालय/संगठन प्रमुख द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों/अधिकारियों की गतिविधियों की समीक्षा करने हेतु नियमित और आकस्मिक रूप से निरीक्षण किए जाते हैं।

- संबंधित अधिकारियों से कार्यालयीन मामलों के संदर्भ में मिलने हेतु आनेवाले आंगतुको को भी सतर्कता की गतिविधियों के अंतर्गत लिया गया है। इसके लिए अलग से स्वागत कक्ष बनाया गया है। उन्हें आंगतुक पास जारी किया जाता है तथा उसपर संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर लिये जाते हैं। इसके अलावा स्वागत क्षेत्र, आंगतुक क्षेत्र, लॉबी आदि की सीसीटीवी प्रणाली के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाती है।
- स्वागत कक्ष में संबंधित अधिकारियों की सूची, उनके गतिविधियों के प्राधिकृत कार्यक्षेत्रों के साथ प्रदर्शित की गई है।
- जिन कर्मचारियों के कदाचार से लिप्त होने का संदेह है, उनकी सूची बनाई गई हैं तथा उनकी गतिविधियों को मॉनिटर किया जाता है।
- कदाचार के मामलों में जनता से प्राप्त शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है तथा उसकी जांच संगठन प्रमुख/कार्यालय प्रमुख द्वारा की जाती है।
- संगठन की वेब साईट <http://peso.gov.in> के सब मेनू 'शिकायत निवारण' के अंतर्गत, संगठन प्रमुख एवं कार्यालय प्रमुखों के नाम उनके दूरभाष संख्या के साथ दर्शाए गए हैं तथा संगठन की वेब साईट पर नागरिक अधिकारपत्र में स्टेकहोल्डर्स की सुविधा हेतु शिकायतों का निवारण सुनिश्चित किया गया है।
- अधिकारियों और सहायकों को आचरण नियम के प्रावधानों से तथा भारत सरकार की ओर से समय-समय पर जारी निर्देशों से भी अवगत किया जाता है।
- जिन अधिकारियों की उम्र 50 साल हो गई है या जिन्होंने 30 सालों की सेवा पूर्ण कर ली है, ऐसे अधिकारियों के मामलों की समीक्षा एफ आर 56 (जे) के अनुसार नियमित रूप से की जाती है।

## पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन में राजभाषा का प्रयोग

पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन, नागपुर अपने पांच अंचल कार्यालय तथा तेरह उप-अंचल कार्यालय, पांच कारखानों से जुड़े कार्यालय, विभागीय परीक्षण केन्द्र तथा एफआरडीसी के साथ भारत सरकार, राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य का पूर्ण अनुपालन हेतु समन्वित प्रयास करता है। संगठन के मुख्य विस्फोटक नियंत्रक श्री टी.आर. तोमस के नेतृत्व में यह कार्यालय पूर्ण निष्ठा एवं लगन के साथ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है तथा राजभाषा हिन्दी के प्रचार प्रसार के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है।

वर्ष के दौरान कार्यालयीन कार्य में राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता लाने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर सभी को अधिकाधिक कार्य हिन्दी में करने हेतु प्रेरित किया गया। मूल रूप से हिन्दी में कार्य करने हेतु कर्मचारियों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जारी प्रोत्साहन योजना लागू है एवं प्रतिवर्ष की भाँति इस वर्ष भी हिन्दी पखवाडा कार्यक्रम में कर्मचारियों को इस योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किया गया।

कंप्यूटर पर हिन्दी प्रयोग के लिए सभी कंप्यूटर मानक भाषा एनकोडिंग – यूनिकोड एनेबल किए गए हैं। संगठन की वेबसाईट का द्विभाषीकरण पूर्ण कर लिया गया है। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए संगठन के ऑनलाईन अनुज्ञप्ती मॉड्यूल का द्विभाषीकरण प्रगति पर है। मंत्रालय द्वारा जारी महत्वपूर्ण निदेशों, पत्रों इत्यादि को ई-मेल, सपोर्ट साईट द्वारा संगठन के सभी संबद्ध/अधिनस्थ कार्यालयों को यथाशीघ्र अनुपालन हेतु प्रेषित किए जाते हैं।

### संगठन का राजभाषायी निरीक्षण

श्रीमती सुनीति शर्मा, (संयुक्त निदेशक) राजभाषा, मंत्रालय द्वारा दि. 28/01/2011 को मुख्य विस्फोटक नियंत्रक नागपुर कार्यालय का राजभाषायी निरीक्षण किया गया व हिन्दी की प्रगति व प्राप्त उपलब्धियों पर संतोष जताया। उन्होंने कार्यालय द्वारा हिन्दी की पत्रिका निकाले जाने तथा द्विभाषी रूप में उपलब्ध ऑनलाईन अनुज्ञप्तियों एवं मॉड्यूल की भी प्रशंसा की।

माननीय संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उप-समिती द्वारा दिनांक 24/12/2010 को संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, आगरा कार्यालय का निरीक्षण किया गया। माननीय समिति ने आगरा कार्यालय की राजभाषायी गतिविधियों की सराहना की।

### नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें

राजभाषा हिन्दी की प्रगति हेतु नराकास द्वारा बुलाई गई बैठकों में संगठन के मुख्यालय एवं अंचल/उप-अंचल कार्यालयों के अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से सहभाग किया गया। नराकास द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों जैसे अंतर्कार्यालयीन हिन्दी प्रतियोगिताएं, कार्यशालाएं, आदि में भी सक्रिय रूप से भाग लिया गया। नराकास के क्रियाकलापों के लिए नियमित रूप से अंशदान भी दिया जाता है।

### हिन्दी पत्रिका-विस्फोटक दर्पण-10

हिन्दी पखवाड़े के अंतर्गत हिन्दी पत्रिका विस्फोटक दर्पण अंक 10 का भी प्रकाशन किया गया। विभिन्न अंचल, उपअंचल, परीक्षण केन्द्र तथा नागपुर कार्यालय के कर्मचारियों/अधिकारियों ने लेख, कहानियाँ, कवितायें, चुटकुले आदि लिखकर इसमें योगदान दिया।

इसके अलावा आगरा कार्यालय द्वारा मध्यांचल दर्पण एवं मध्यांचल समाचार का प्रकाशन किया गया।

### हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम

हिन्दी प्रशिक्षण कार्य को प्राथमिकता देते हुए कार्यालय के सभी कर्मचारियों का प्रशिक्षण लगभग पूर्ण कर लिया गया है। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एवं राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, नागपुर द्वारा आयोजित पांच दिवसीय "हिन्दी कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान प्रशिक्षण" कार्यक्रम में मुख्यालय के प्रशिक्षणार्थियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया गया है।

### हिन्दी कार्यशालाएं

कार्यालय में अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहन देते हुए चार कार्यशालाओं का अनिवार्य रूप से आयोजन किया गया। राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु कर्मचारियों को कठिन हिन्दी के बजाय सरल एवं सहज हिन्दी का प्रयोग करने की सलाह दी गई।



## हिन्दी पखवाडा कार्यक्रम

सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मुख्यालय तथा संगठन के विभिन्न अंचल, उप-अंचल, विभागीय परीक्षण केन्द्र में हिन्दी पखवाडा बड़े ही हषोउल्लास से मनाया गया।

पखवाडे के अंतर्गत हिन्दी से जुड़े विषयों पर हिन्दी कार्यशालाएं एवं विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जैसे हिन्दी टंकण, टिप्पण-आलेखन, निबंध, शब्द ज्ञान, चित्र पर आधारित कहानी, सुलेख, प्रश्नोत्तरी, अंताक्षरी तथा हिन्दी पुस्तकों की प्रदर्शनी। पखवाडे का मुख्य कार्यक्रम तथा हिन्दी दिवस 14 सितम्बर 2010 को मनाया गया। मंत्रालय से प्राप्त ज्ञापन एवं गृह मंत्रीजी का संदेश सभी को अनुपालनार्थ सुनाया गया। पखवाडे के अंतर्गत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं एवं मूल काम हिन्दी में करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया।

## उपलब्धियां

राजभाषा के प्रचार-प्रसार में उत्कृष्ट योगदान के लिए नराकास, नागपुर द्वारा पेसो, नागपुर की हिन्दी गृह पत्रिका "विस्फोटक दर्पण" को वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त हुए।

पेसो, आगरा कार्यालय को वर्ष 2010-11 के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ तथा इस इस कार्यालय को **आदर्श कार्यालय** भी घोषित किया गया। इस कार्यालय द्वारा राजभाषा नीति का शत-प्रतिशत अनुपालन करते हुए संपूर्ण पत्राचार हिन्दी में किया जा रहा है। गत वर्ष की तरह यह वर्ष भी "हर दिवस हिन्दी दिवस" का नारा देते हुए हिन्दी वर्ष मनाया गया तथा प्रत्येक माह में राजभाषा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसके अलावा संगठन द्वारा संघ की राजभाषा नीति के श्रेष्ठ निष्पादन में सराहनीय योगदान के लिए कार्यालयाध्यक्ष श्री डी. विजयन, संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक एवं श्रीमती श्रावणी गांगुली, कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक को व्यक्तिगत प्रमाणपत्र भी प्रदान किए गए। श्री डी विजयन, संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक को गैर हिंदी भाषा-भाषी सम्मान स्वरूप एक स्मृति चिन्ह (शील्ड) भी प्रदान किया गया।

गत वर्ष इलाहाबाद कार्यालय को इलाहाबाद नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा हिन्दी में किए जा रहे सराहनीय कार्य के लिए द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस उपलब्धि के लिए

उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक इलाहाबाद कार्यालय के श्री एम.एम.बेग उप विस्फोटक नियंत्रक की विशेष रूप से सराहना की गई।

इस वर्ष माह फरवरी में नगर राजभाषा कार्यन्वयन समिती, इलाहाबाद द्वारा आयोजित बैठक में वर्ष 2010 के दौरान अपने कार्यक्षेत्र में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए कार्यालय उप-मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, इलाहाबाद को गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया तथा श्री अब्दुल बसीर, उप-विस्फोटक नियंत्रक के योगदान की प्रशंसा कर उन्हें शील्ड व प्रमाणपत्र प्रदान किया गया।

पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन, राजभाषा की अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियां निभाने हेतु कृतसंकल्प हैं।

## अनुज्ञप्ति प्राप्त/स्वीकृत परिसरों का निरीक्षण

निरीक्षण अधिकारियों के विभिन्न श्रेणियों के अनेक पद रिक्त होने के कारण हुए संसाधनों की कमी के बावजूद भी विभिन्न अधिनियमों और नियमों के अंतर्गत विभाग द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त/स्वीकृति प्राप्त खतरनाक परिसरों की निरीक्षण गतिविधियों पर बल देने के प्रयास किए गए।

### **विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अंतर्गत :**

वर्ष के दौरान 14,634 इकाइयों (अनुज्ञप्ति प्राप्त/स्वीकृति प्राप्त 83,453 कुल इकाइयों में से) का निरीक्षण किया गया। यह कुल परिसरों में से 17.53% के निरीक्षण के समतुल्य है। उपरोक्त निर्दिष्ट इकाइयों में विस्फोटक नियमों के अंतर्गत 4,557 अनुज्ञप्ति प्राप्त इकाइयों का, गैस सिलेण्डर नियमों के अंतर्गत 1,528 अनुज्ञप्ति प्राप्त इकाइयों तथा 77 स्वीकृति प्राप्त इकाइयों का, एसएमपीवी (यू) नियमों के अंतर्गत 2,401 अनुज्ञप्ति प्राप्त इकाइयों का तथा 25 स्वीकृति प्राप्त इकाइयों का निरीक्षण हुआ।

### **पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के अंतर्गत**

वर्ष के दौरान 7,430 अनुज्ञप्ति प्राप्त/स्वीकृति प्राप्त इकाइयों का निरीक्षण किया गया, जो कुल 3.74% अनुज्ञप्ति प्राप्त/स्वीकृति प्राप्त इकाइयों के 1,98,265 के समतुल्य है। उपरोक्त निरीक्षण में पेट्रोलियम नियमों के अंतर्गत अनुज्ञप्ति प्राप्त/स्वीकृति प्राप्त 14,639 इकाइयों का, कॅलशियम कार्बाइड नियमों के अंतर्गत 12 अनुज्ञप्ति प्राप्त/स्वीकृति प्राप्त इकाइयों का समावेश है।

वर्ष 2010-11 में इस संगठन द्वारा, विभिन्न अधिनियमों व नियमों के अंतर्गत अनुज्ञप्ति प्राप्त और स्वीकृति प्राप्त इकाइयों की कुल 2,81,718 इकाइयों में से, 22,064 परिसरों का 7.83% निरीक्षण किया गया। विभिन्न अधिनियमों और नियमों के अंतर्गत अनुज्ञप्ति प्राप्त/स्वीकृति प्राप्त परिसरों के लिए गए निरीक्षण की सांख्यिकीय जानकारी सारणी 1 में दी गई है।

निरीक्षण के दौरान जहां भी अनुज्ञप्ति के नियमों और शर्तों में कमियों, अनियमितता या उल्लंघन पाए गए, ऐसी स्थिति में अनुज्ञप्ति धारकों को संशोधन/अनुपालन करने की दिशा में नोटिस देने की कारवाई की गई। उन नियमों के उल्लंघन के गंभीर मामलों में जहां सुरक्षा खतरे में हो, अनुज्ञप्तियों को निलम्बित कर दिया गया या नियमों के उल्लंघन के मामलों में प्रकार तथा अपराध की गंभीरता के आधार पर उन्हें रद्द कर दिया गया। नियमों के उल्लंघन के मामलों में, सुरक्षित स्थितियां तथा तरीकों को सुनिश्चित करने के लिए नियमित देखभाल के कदम उठाए गए।

सारणी – 1

वर्ष 2010 – 2011 के दौरान किये गये निरीक्षणों का विवरण

(I) अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसर

क्र. सं.	अधिनियम तथा नियम	अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसरों की संख्या एवं निरीक्षण				
		1.4.2010 को	वर्ष 2010-11 के दौरान दी गई अनुज्ञप्तियां	वर्ष 2010-11 के दौरान रद्द की गई अनुज्ञप्तियां	योग 31.03. 2011 तक	वर्ष 2010-11 के दौरान किए गये निरीक्षण
1	विस्फोटक अधिनियम 1884 के अंतर्गत					
	1. विस्फोटक नियम 2008					
	श्रेणी "अ"	17647	806	833	17620	5584
	श्रेणी "ब"					
	2. गैस सिलेण्डर नियम, 2004	9592	3751	195	13148	2146
	3. स्थिर तथा गतिशील दाबपात्र (अज्वलित) नियम, 1981	19523	1528	148	20903	4054
		26879	2401	1686	27594	2506
	योग (1)	<b>73641</b>	<b>8486</b>	<b>2862</b>	<b>79265</b>	<b>14290</b>
2	पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के अंतर्गत					
	1. पेट्रोलियम नियम 2002					
	श्रेणी "अ"	2616	168	23	2761	913
	श्रेणी "ब"					
	2. कैलशियम कार्बाइड नियम, 1987	166420	13894	688	179626	6315
	3. सिनेमेटोग्राफ फिल्म नियम, 1948	456	12	0	468	19
		0	0	0	0	0
	योग (2)	<b>169492</b>	<b>14074</b>	<b>711</b>	<b>182855</b>	<b>7247</b>
	(1) व (2) का योग	<b>243133</b>	<b>22560</b>	<b>3573</b>	<b>262120</b>	<b>21537</b>

सारणी – 1

(II) अनुमोदित परिसर

	अधिनियम तथा नियम	अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसरों की संख्या एवं निरीक्षण				
		1.4.2010 को	वर्ष 2010-11 के दौरान अनुमोदित	वर्ष 2010-11 के दौरान रद्द किए गए अनुमोदन	योग 31.03.2011 तक	वर्ष 2010-11 के दौरान किए गये निरीक्षण
1	विस्फोटक अधिनियम 1884 के अंतर्गत 1. विस्फोटक नियम 2008 श्रेणी "अ" श्रेणी "ब" 2. गैस सिलेण्डर नियम, 2004 3. स्थिर तथा गतिशील दाबपात्र (अज्वलित) नियम, 1981	187	165	69	283	198
		1922	7	0	1929	0
		1219	77	109	1187	123
		784	25	20	789	23
	योग (1)	<b>4112</b>	<b>274</b>	<b>198</b>	<b>4188</b>	<b>344</b>
2	पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के अंतर्गत 1. पेट्रोलियम नियम 2002 श्रेणी "अ" श्रेणी "ब" 2. कैंशियम कार्बाइड नियम, 1987 3. सिनेमेटोग्राफ फिल्म नियम, 1948	930	46	0	976	40
		13686	745	0	14431	143
		3	0	0	3	0
		0	0	0	0	0
	योग (2)	<b>14619</b>	<b>791</b>	<b>0</b>	<b>15410</b>	<b>183</b>
	(1) व (2) का योग	<b>18731</b>	<b>1065</b>	<b>198</b>	<b>19598</b>	<b>527</b>
	(I) व (II) का योग	<b>261864</b>	<b>23625</b>	<b>3771</b>	<b>281718</b>	<b>22064</b>

दुर्घटनाओं की जाँच  
दक्षिण अंचल, चेन्नई

विस्फोटक नियम, 2008 के अंतर्गत :-

1. दिनांक 09/04/2010 – स्थान : ग्राम – वेम्बाकोट्टई, जि. विरुधुनगर, तमिलनाडु, मृत – 1, घायल – कोई नहीं  
मेसर्स प्रीमियर फायरवर्क्स फैक्टरी में अग्नि/विस्फोट दुर्घटना घटी। यह दुर्घटना कारखाने से दूर एक अनाधिकृत जगह पर कचरा नष्ट करते समय हुई। अपशिष्ट (वेस्ट) विस्फोटकों का लापरवाही से हैंडलिंग, दुर्घटना का कारण हो सकता है।
2. दिनांक – 07/06/2010 – स्थान : मेसर्स आर्या फायरवर्क्स ग्राम – मारानेरी, जि. विरुधुनगर, तमिलनाडु, मृत – 1, घायल – कोई नहीं  
आतिशबाजी कारखाने में पटाखों के निर्माण के दौरान अग्नि/विस्फोट दुर्घटना घटी। दुर्घटना के परिणामस्वरूप केमिकल फिलींग शेड ध्वस्त हो गया। दुर्घटना की वजह परकोलेट काम्पोजिशन के रैमिंग के दौरान हुए घर्षण से उत्पन्न चिंगारी हो सकती है।
3. दिनांक – 28/06/2010 – स्थान : ग्राम – विश्वनाथम, जि. विरुधुनगर, तमिलनाडु, मृत – 1, घायल – कोई नहीं  
मेसर्स नालेश फायरवर्क्स, ग्राम-विश्वनाथम, जि. विरुधुनगर में आतिशबाजी कारखाने में अग्नि/ विस्फोट दुर्घटना घटी। यह दुर्घटना एल्यूमीनियम पाउडर के अपघटन (डिकंपोजिशन) के कारण हुई होगी।
4. दिनांक – 02/07/2010 – स्थान : मेसर्स प्रीमियर एक्स्प्लोसिक्स लि. पेड्डाकंडुकूर, जि. नालगोंडा, आंध्र प्रदेश.  
मृत – कोई नहीं, घायल – 1  
मेसर्स प्रीमियर एक्स्प्लोसिक्स लिमिटेड पेड्डाकंडुकूर, जि. नालगोंडा के कारखाने के परिसर में बिल्डिंग क्रमांक सी-6 (रासायनिक दुकान) में उस वक्त एक असामान्य घटना घटी जब एक कर्मचारी वैट में रखे सोल्यूशन में कॉन्सन्ट्रैटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिला रहा था। कर्मचारी द्वारा

अनजाने में या जानबुझकर काफी मात्रा में सोडा ऐश युक्त वैट में एसिड डाला गया जिससे एसिड और बेसीक मिडीयम में हुई तत्कालिक और प्रबल प्रतिक्रिया संभवतः दुर्घटना का कारण है।

5. दिनांक : 01/08/2010 – स्थान : हरीपद, आलाप्पुझा, केरल, मृत – 4, घायल – 4  
यह अग्नि/विस्फोट दुर्घटना एक अनाधिकृत आतिशबाजी विनिर्माण इकाई में हुई। आतिशबाजी संरचना के ढेर पर बीडी का गिरना दुर्घटना का संभावित कारण हो सकता है। एक संभावना यह भी है कि जब व्हील आइटम की गति का परीक्षण किया जा रहा था, तब वह अनियंत्रित हो कर आतिशबाजी संरचना के ढेर पर गिरने के परिणामस्वरूप उसमें आग लग गई होगी।
6. दिनांक – 26/08/2010 – स्थान : ग्राम के. पुडूर, जि. विरूधुनगर, तमिलनाडु, मृत – 1, घायल – 1  
मेसर्स श्री पेरीनादावर फायरवर्क्स के आतिशबाजी कारखाने में अग्नि/विस्फोट दुर्घटना घटी जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटना शेड क्रमांक 12, 13 तथा 16 अंशतः क्षतिग्रस्त हो गए। आतिशबाजी संरचना (कंपोजिशन) के कन्टैमिनेशन के कारण दुर्घटना घटी होगी।
7. दिनांक – 24/09/2010 – स्थान : ग्राम – मारानेरी, जि. विरूधुनगर, तमिलनाडु  
मेसर्स श्री राजेश्वरी फायरवर्क्स के आतिशबाजी कारखाने में अग्नि/विस्फोट दुर्घटना घटी जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटना ट्रांझीट शेड क्रमांक 28 ध्वस्त हो गया। खुले फ्यूज की हैंडलिंग के दौरान उत्पन्न चिंगारी दुर्घटना का कारण हो सकती है।
8. दिनांक – 07/10/2010 – स्थान : ग्राम – नारानापुम, जि. विरूधुनगर, तमिलनाडु, मृत – 4, घायल – कोई नहीं  
मेसर्स श्री मुरुगेस्वरी फायरवर्क्स के आतिशबाजी कारखाने में अग्नि/विस्फोट की दुर्घटना घटी जिसके परिणामस्वरूप व्हाइट पावडर फिलींग शेड ध्वस्त हो गया। गीले चक्र संरचना (कंपोजिशन) के अपघटन (डिकंपोजिशन) के कारण दुर्घटना घटी होगी।
9. दिनांक – 04/11/2010 – स्थान : ग्राम – नेम्मारा-पलक्कड, केरल, मृत – 3, घायल – कोई नहीं

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी अनुज्ञप्त परिसर में आतिशबाजी के विनिर्माण के दौरान एक आतिशबाजी शेड निर्माण में अग्नि /विस्फोट की दुर्घटना घटी। मामला जांच के अधीन है।

10. दिनांक – 21/01/2011 – स्थान : ग्राम –थियागराजपुरम, जि. विरुधुनगर, तमिलनाडु,  
मृत – 11, घायल – 10  
मेसर्स श्री राजूकन्ना फायरवर्क्स के आतिशबाजी कारखाने में अग्नि/विस्फोट दुर्घटना घटी जिसके परिणामस्वरूप व्हाईट पावडर फिलींग शेड ध्वस्त हो गया। कलर पेलेट के हैंडलिंग के दौरान प्रभाव/घर्षण की वजह से उत्पन्न चिंगारी, दुर्घटना का कारण हो सकता है।
11. दिनांक – 01/02/2011 – स्थान : ग्राम – थरांगली, जिला – पलक्कड, राज्य – केरल.  
मृत – 12, घायल – 4  
एक अनाधिकृत आतिशबाजी निर्माण शेड में आतिशबाजी के निर्माण के दौरान अग्नि/विस्फोट दुर्घटना घटी। मामला जांच के अधीन है।
12. दिनांक – 02/02/2011 – स्थान : ग्राम – पेड्डाकन्दुकुर, जिला – नालगोंडा, राज्य – आन्ध्र प्रदेश, मृत – कोई नहीं, घायल – 1  
पेड्डाकन्दुकुर, जिला – नालगोंडा, आन्ध्र प्रदेश में स्थित मेसर्स प्रीमियर एक्सप्लोसिब्स लिमिटेड के बिल्डिंग क्रमांक एल-1 में क्यूबिकल में हॉपर विस्फोट की दुर्घटना घटी। एएसए युक्त बोतल होल्डर का अचानक टूटकर बोतल का एएसए हॉपर में गिरना दुर्घटना का संभावित कारण है।

#### **गैस सिलेंडर नियम, 2004 के अंतर्गत :-**

1. दिनांक – 04/01/2011 – स्थान : विद्याधरपुरम, जिला – विजयवाडा, कृष्णा राज्य – आन्ध्र प्रदेश, मृत – कोई नहीं, घायल – कोई नहीं  
विद्याधरपुरम, जिला – विजयवाडा, में एपीएसआरटीसी की बसों में सीएनजी भरने के दौरान दुर्घटना घटी। कासकेड में सीएनजी सिलेडरों के सलफाईड कोरोजन दुर्घटना का संभावित कारण है। मामला जांच के अधीन है।



**पेट्रोलियम नियम 2004 के अंतर्गत :-**

1. दिनांक – 11/5/2010 – स्थान : ग्राम – अलवाल, जिला – हैदराबाद  
मृत – कोई नहीं, घायल – 1

मेसर्स आईओसीएल, अलवाल, हैदराबाद के रिटेल आउटलेट में भूमिगत टैंक में होज पाईप के द्वारा एमएस अनलॉडिंग के दौरान एक अग्नि दुर्घटना घटी। गलत कनेक्शन की वजह से एमएस के होज पाईप से रिसाव हुआ जो दुर्घटना का संभावित कारण है जिसके परिणामस्वरूप फर्श पर फैले एमएस प्रज्वलित होकर अचानक ज्वाला भडक उठी जिसमें पहले होज पाईप और बाद में टैंकर को चपेट में ले लिया।

सारणी – 1

दक्षिण अंचल, चेन्नई

वर्ष 2010–2011 के दौरान किये गये निरीक्षणों का विवरण

(I) अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसर

	अधिनियम तथा नियम	अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसरों की संख्या एवं निरीक्षण				
		1.4.2010 को	वर्ष 2010–11 के दौरान दी गई अनुज्ञप्तियां	वर्ष 2010–11 के दौरान रद्द की गयी अनुज्ञप्तियां	योग 31.3.2011 तक	वर्ष 2010–11 के दौरान किए गये निरीक्षण
1	<b>विस्फोटक अधिनियम 1884 के अंतर्गत</b>					
	1. विस्फोटक नियम 2008					
	श्रेणी 'अ'	8442	398	618	8222	2721
	श्रेणी 'ब'	1895	108	164	1839	195
	2. गैस सिलेण्डर नियम, 2004	6947	365	124	7188	1191
	3. स्थिर तथा गतिशील दाबपात्र (अज्वलित) नियम, 1981	11477	586	621	11442	9
	<b>योग (1)</b>	<b>28761</b>	<b>1457</b>	<b>1527</b>	<b>28691</b>	<b>4116</b>
2	<b>पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के अंतर्गत</b>					
	1. विस्फोटक नियम 2002					
	श्रेणी 'अ'	1805	143	23	1925	0
	श्रेणी 'ब'	49356	3168	219	52305	0
	2. कैल्शियम कार्बाइड नियम, 1987	130	9	0	139	0
	3. सिनेमेटोग्राफ फिल्म नियम, 1948	0	0	0	0	0
	<b>योग (2)</b>	<b>51291</b>	<b>3320</b>	<b>242</b>	<b>54369</b>	<b>0</b>
	<b>(1) व (2) का योग</b>	<b>80052</b>	<b>4777</b>	<b>1769</b>	<b>83060</b>	<b>0</b>

सारणी – 1

(II) अनुमोदित परिसर

	अधिनियम तथा नियम	अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसरों की संख्या एवं निरीक्षण				
		1.4.2010 को	वर्ष 2010-11 के दौरान अनुमोदित	वर्ष 2010-11 के दौरान रद्द की गयी अनुमोदन	योग 31.3.2011 तक	वर्ष 2010-11 के दौरान किए गये निरीक्षण
1	विस्फोटक अधिनियम 1884 के अंतर्गत					
	1. विस्फोटक नियम 2008					
	श्रेणी 'अ'	102	104	69	137	0
	श्रेणी 'ब'	0	0	0	0	0
	2. गैस सिलेण्डर नियम, 2004	179	9	109	79	8
	3. स्थिर तथा गतिशील दाबपात्र नियम, 1981	76	11	0	87	4
	<b>योग (1)</b>	<b>357</b>	<b>124</b>	<b>178</b>	<b>303</b>	<b>12</b>
2	पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के अंतर्गत					
	1. विस्फोटक नियम 2002					
	श्रेणी 'अ'	810	41	0	851	9
	श्रेणी 'ब'	0	0	0	0	0
	2. कैल्शियम कार्बाइड नियम, 1987	0	0	0	0	0
	3. सिनेमेटोग्राफ फिल्म नियम, 1948	0	0	0	0	0
	<b>योग (2)</b>	<b>810</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>851</b>	<b>9</b>
	<b>(1) व (2) का योग</b>	<b>1167</b>	<b>165</b>	<b>178</b>	<b>1154</b>	<b>21</b>
	<b>(I) व (II) का योग</b>	<b>81211</b>	<b>4942</b>	<b>4947</b>	<b>84214</b>	<b>7482</b>

## दुर्घटनाओं की जाँच पश्चिम अंचल, मुंबई

विस्फोटक नियम, 2008 के अंतर्गत :-

1. दिनांक : 20/04/2010 – स्थान : ईकनॉमिक एक्सप्लोसिव्ह लिमिटेड, सावंगी जिला – नागपुर, महाराष्ट्र मृत – कोई नहीं, घायल – 1

शेल से फ्यूज हेड असेंबली निकालने के समय लगे झटके के कारण दुर्घटना घटित हुई। फ्यूज हेड का शेल की दीवार से रगड़ना दुर्घटना का कारण प्रतीत होता है।

2. दिनांक : 15/09/2010 – स्थान : ईकनॉमिक एक्सप्लोसिव्ह लिमिटेड, सावंगा जिला – नागपुर, महाराष्ट्र मृत – कोई नहीं, घायल – 2

अत्याधिक संवेदनशील और डिले कॉम्पोजिशन को भरने के लिए हार्ड मेटल स्टेनलेस स्टील के स्कूप का इस्तेमाल किया जा रहा था जिससे घर्षण होकर आग की दुर्घटना घटित हुई।

3. दिनांक : 05/10/2010 – स्थान : तलेगाँव, जिला – वर्धा, महाराष्ट्र मृत – कोई नहीं, घायल – 2

मेसर्स सी-डेट एक्सप्लोसिव्ह के निर्माण कारखाने में डिले कॉम्पोजिशन में आग लगी। डिले-कॉम्पोजिशन को मिश्रित करते समय लेड की तारों के प्रभाव के कारण आग लगी। लेड की तारें चमड़े के ढक्कन के साथ जार के उपर बंधी थी।

4. दिनांक : 21/01/2011 – स्थान : तलेगाँव, जिला – वर्धा, महाराष्ट्र मृत – कोई नहीं, घायल – कोई नहीं

एएसए कॉम्पोजिशन निकालने के दौरान एएसए और पुल के बीच घर्षण के कारण दुर्घटना घटी जिससे दो ड्रायींग ट्रे में रखे एएसए मिक्चर का सिम्पथेटिक डिटोनेशन हुआ।

**गैस सिलेंडर नियम, 2004 के अंतर्गत :-**

1. दिनांक : 14/07/2010 – स्थान : हाजीबंदर, जिला – मुंबई

मृत – कोई नहीं, घायल – 110

हाजीबंदर, मुंबई स्थित एमबीपीटी के परिसर में क्लोरीन रिसाव की घटना घटी। मुख्य विस्फोटक नियंत्रक से आयात लाइसेंस के बिना क्लोरीन सिलेंडरों का आयात कर करीब 10 वर्षों के लिए परिसर में भण्डारण किया गया था, जिससे खुले यार्ड में मौसम की अनियमितता के दुष्प्रभाव के कारण सिलेंडरों को गंभीर क्षति पहुँची।

2. दिनांक : 11/08/2010 – स्थान : मेसर्स पराग गॅसेस एण्ड केमिकल्स प्रा. लि. पुणे, जिला – मुंबई मृत – 1, घायल – 1

विस्फोट की घटना उस वक्त घटी जब गैस फिलींग प्लांट के कर्मचारी फिलींग प्लांट में दोषपूर्ण वाल्व की मरम्मत की अनधिकृत और असुरक्षित गतिविधि में लगे हुए थे।

3. दिनांक : 18/08/2010 – स्थान : नंदेसरी, जिला – बडौदा, गुजरात मृत – कोई नहीं, घायल – कोई नहीं

विषाक्त क्लोरीन गैस का उस समय रिसाव हुआ जब क्लोरीन टोनर्स से सिलेंडरों में अनधिकृत रूप से भरी तथा स्थानांतरित की जा रही थी। दुर्घटना का कारण ट्रांसफर पाइप का टूटना है जिसके द्वारा क्लोरीन गैस का अनियंत्रित रिसाव हुआ और जिससे स्कूली बच्चों सहित क्षेत्र के स्थानीय निवासी प्रभावित हुए।

**पेट्रोलियम नियम 2004 के अंतर्गत :-**

1. दिनांक : 06/02/2011 – स्थान : भरूच, जिला – भरूच, गुजरात

मृत – 2, घायल – 3

एक पेट्रोलियम रोड़ टैंकर में वेल्डिंग का काम करते वक्त अग्नि/विस्फोट दुर्घटना हुई। गैर फ्री किए बिना हॉट वर्क करते समय टैंकर में मौजूद वाष्प प्रज्वलित होना दुर्घटना का कारण प्रतीत होता है।

2. दिनांक : 19/02/2011 – स्थान : जामकंडोरना, जिला – राजकोट

मृत – 5, घायल – 7

मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जामनगर का पेट्रोलियम क्लास 'ए' प्रॉडक्ट ले जा रहा रोड टैंकर चालक द्वारा नियंत्रण खोने के कारण उलट कर खाई में गिर गया। पेट्रोलियम उत्पाद टैंकर से बाहर छलका और उसमें आग लग गई। यह स्थान श्रमिकों के अस्थायी मकानों के करीब था। प्रज्वलन का स्रोत अस्थायी मकान से ही प्रतीत होता है जिससे भड़की आग से वहा रहनेवाले जख्मी/मृत हुए।

3. दिनांक : 19/11/2010 – स्थान : गोठाडा, सावली, जिला – बडौदा, गुजरात

मृत – कोई नहीं, घायल – कोई नहीं

यह आग की दुर्घटना एक सॉल्वेंट डिस्टिलेशन यूनिट में हुई। एक ड्रम जिसे ट्राली से वेईंग स्केल पर स्थानांतरित किया जा रहा था उससे वाष्प छिड़क गयी और प्रज्वलीत हो गई। परिसर में अपनायी जा रही असुरक्षित ऑपरेटिंग कार्यप्रणाली से उत्पन्न घर्षण प्रज्वलन का कारण प्रतीत होता है।

4. दिनांक : 25/09/2010 – स्थान : मोहगाँव, मोहाडी, जिला – भंडारा, महाराष्ट्र

मृत – 2, घायल – 2

सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन यूनिट में, एक्सट्रैक्शन कक्ष के मैनहोल खोलने के दौरान हेक्झेन वाष्प ईवैपरेट होकर बिजली के सर्किट से उत्पन्न चिंगारी से बड़े पैमाने पर अग्नि दुर्घटना हुई।

5. दिनांक : 18/10/2010 – स्थान : गोंदिया, जिला – गोंदिया, महाराष्ट्र

मृत – कोई नहीं, घायल – कोई नहीं

वाहन में पेट्रोल डालते समय एक एमएस डिस्पैसिंग पंप आग में जलकर राख हो गया। डिस्पैसिंग पंप में बिजली के खुले तथा लूज वायरिंग की वजह से शॉर्ट सर्किट होना दुर्घटना का कारण प्रतीत होता है।

6. दिनांक : 30/04/2010 – स्थान : मेसर्स आइओसीएल हुडकेश्वर बुद्रुक, जिला – नागपुर,

महाराष्ट्र मृत – कोई नहीं, घायल – 1

यह दुर्घटना भूमिगत टैंक में पीवीसी पाइप के द्वारा एमएस के अनलोडिंग के दौरान हुई। एक भूमिगत टैंक का फिलींग पॉइंट भी खुला छोड़ दिया गया था। अर्थिंग के बिना अनलोडिंग करते समय उत्पन्न स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कारण संभवतः फिल पाइप के पास संचित एमएस वाष्प प्रज्वलित हो गई होगी। असुरक्षित कार्यप्रणाली दुर्घटना का कारण है।

7. दिनांक : 16/08/2010 – स्थान : खामगाँव, जिला – बुलढाना, महाराष्ट्र

मृत – कोई नहीं, घायल – कोई नहीं

यह अग्नि दुर्घटना मेसर्स आईओसीएल के एक रिटेल आउटलेट में घटी जिससे एमएस डिस्पैसिंग पंप आग में जलकर राख हो गया। डिस्पैसिंग यूनिट के लूज वायरिंग और वोल्टेज की अस्थिरता की वजह से शॉर्ट सर्किट दुर्घटना का संभावित कारण है।

सारणी – 1

पश्चिम अंचल, मुंबई

वर्ष 2010–2011 के दौरान किये गये निरीक्षणों का विवरण

(I) अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसर

	अधिनियम तथा नियम	अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसरों की संख्या एवं निरीक्षण				
		1.4.2010 को	वर्ष 2010–11 के दौरान दी गई अनुज्ञप्तियां	वर्ष 2010–11 के दौरान रद्द की गयी अनुज्ञप्तियां	योग 31.3.2011 तक	वर्ष 2010–11 के दौरान किए गये निरीक्षण
1	<b>विस्फोटक अधिनियम 1884 के अंतर्गत</b>					
	1. विस्फोटक नियम 2008					
	श्रेणी 'अ'	1909	147	215	1841	1261
	श्रेणी 'ब'	5729	3149	0	8878	824
	2. गैस सिलेण्डर नियम, 2004	3825	310	24	4111	658
	3. स्थिर तथा गतिशील दाबपात्र (अज्वलित) नियम, 1981	5864	965	489	6340	895
	<b>योग (1)</b>	<b>17327</b>	<b>4571</b>	<b>728</b>	<b>21170</b>	<b>3638</b>
2	<b>पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के अंतर्गत</b>					
	1. विस्फोटक नियम 2002					
	श्रेणी 'अ'	444	25	0	0	276
	श्रेणी 'ब'	31489	4132	116	35505	1078
	2. कैल्शियम कार्बाइड नियम, 1987	88	0	0	88	5
	3. सिनेमेटोग्राफ फिल्म नियम, 1948	0	0	0	0	0
	<b>योग (2)</b>	<b>32021</b>	<b>4157</b>	<b>116</b>	<b>36062</b>	<b>1159</b>
	<b>(1) व (2) का योग</b>	<b>49348</b>	<b>8728</b>	<b>844</b>	<b>57232</b>	<b>4797</b>



सारणी – 1

(II) अनुमोदित परिसर

	अधिनियम तथा नियम	अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसरों की संख्या एवं निरीक्षण				
		1.4.2010 को	वर्ष 2010-11 के दौरान अनुमोदित	वर्ष 2010-11 के दौरान रद्द की गयी अनुमोदन	योग 31.3.2011 तक	वर्ष 2010-11 के दौरान किए गये निरीक्षण
1	विस्फोटक अधिनियम 1884 के अंतर्गत					
	1. विस्फोटक नियम 2008					
	श्रेणी 'अ'	16	3	0	19	5
	श्रेणी 'ब'	0	0	0	0	0
	2. गैस सिलेण्डर नियम, 2004	210	13	0	223	57
	3. स्थिर तथा गतिशील दाबपात्र नियम, 1981	228	14	20	222	18
	<b>योग (1)</b>	<b>454</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>464</b>	<b>80</b>
2	पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के अंतर्गत					
	1. विस्फोटक नियम 2002					
	श्रेणी 'अ'	110	5	0	115	29
	श्रेणी 'ब'	8463	226	0	8689	0
	2. कैल्शियम कार्बाइड नियम, 1987	3	0	0	3	0
	3. सिनेमेटोग्राफ फिल्म नियम, 1948	0	0	0	0	0
	<b>योग (2)</b>	<b>8576</b>	<b>231</b>	<b>0</b>	<b>8807</b>	<b>29</b>
	<b>(1) व (2) का योग</b>	<b>9030</b>	<b>261</b>	<b>0</b>	<b>9271</b>	<b>109</b>
	<b>(I) व (II) का योग</b>	<b>58378</b>	<b>8989</b>	<b>864</b>	<b>66503</b>	<b>4906</b>

पश्चिम अंचल, मुंबई

अनुज्ञप्ति प्राप्त तथा निरीक्षण किए गए परिसर दर्शाता ग्राफ वर्ष 2010–2011

## दुर्घटनाओं की जाँच

### मध्यांचल, आगरा

पेट्रोलियम नियम, 2004 के अंतर्गत :-

1. दिनांक : 02/04/2010 – स्थाई : टिकारिया, जिला – मण्डला, मध्य प्रदेश

मृत – कोई नहीं, घायल – कोई नहीं

टिकारिया, जिला : मण्डला (म.प्र.) में मेसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, के एक रिटेल आउटलेट में यह अग्नि दुर्घटना हुई। घटना के दिन, पावर कट के कारण इलेक्ट्रिकल पावर उपलब्ध नहीं थी। करीबन 12.00 बजे जब बिजली की सप्लाई शुरू की गई तब सेल्स बिल्डिंग में स्थापित म.प्र. बिजली बोर्ड के इलेक्ट्रिक मीटर से अचानक धुआं और आग देखी गयी। पंप अटेन्डेन्ट द्वारा 4.5 किलोग्राम CO<sub>2</sub> फायर इक्विस्टिंग्विशर के सहायता से तुरंत आग बुझाई गई। इलेक्ट्रिकल मीटर में हाय इलेक्ट्रिक वोल्टेज के प्रभाव से उत्पन्न चिंगारी आग का संभावित कारण हो सकता है।

2. दिनांक : 10/04/2010 – स्थान : गागलाहेरी, जिला – सहारानपुर, उत्तर प्रदेश

मृत – कोई नहीं, घायल – 3

मेसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रिटेल आउटलेट परिसर में यह अग्नि दुर्घटना घटी। जैसे ही एक आरओ में एमएस का डीकैन्टेशन शुरू किया गया, एमएस के भूमिगत टैंक के फिल पॉइन्ट और टैंक ट्रक के डिस्चार्ज फॉसिट के बीच में अचानक चिंगारी देखी गई। फिल पॉइन्ट या टैंक ट्रक के डिस्चार्ज फॉसिट के पास मौजूद वाष्प प्रज्वलित हो उठी और डीकैन्टींग होज, टैंक ट्रक और उत्पन्न हुए स्टैटिक चार्ज के आसपास की अन्य सभी सुविधाएं आग की चपेट में आ गई।

3. दिनांक : 12/06/2010 – स्थान : ओबेदुल्लागंज, जिला – भोपाल, मध्य प्रदेश

मृत – कोई नहीं, घायल – 2

मेसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रिटेल आउटलेट में यह अग्नि दुर्घटना घटी। दुर्घटना के समय रिटेल आउटलेट के एक एमएस भूमिगत टैंक में एमएस का अनलोडिंग शुरू था। डीकैन्टेशन के दौरान फीलींग पाईप, गैस टाईट ना होने से जमीन पर पेट्रोलियम वाष्प का अत्याधिक संचय हो गया। पास ही के डिस्पैसिंग यूनिट पर ग्रहकों के वाहनों में इंधन भरा

जा रहा था। मोटर स्पिरिट के उतारने/आसपास चल रहे वाहनों के कारण स्टैटिक चार्ज उत्पन्न होने से, संचित पेट्रोलियम वाष्प प्रज्वलित हो गई।

4. दिनांक : 17/02/2011 – स्थान : कानपुर, जिला – कानपुर, उत्तर प्रदेश

मृत – कोई नहीं, घायल – 2

प्लॉट नंबर 96/6, माल रोड, कानपुर, जिला – कानपुर नगर स्थित मेसर्स एचपीसीएल के रिटेल आउटलेट के पोर्टा केबिन में यह अग्नि दुर्घटना घटी। पोर्टा केबिन में आग लगी जो संभवतः वहां रखे एमएस सैम्पल्स से लगी। केबिन में सो रहे दो श्रमिक आग में झुलस कर घायल हो गए। यह दो श्रमिक तथा रिटेल आउटलेट के अन्य श्रमिक पोर्टा केबिन की आग के चपेट में आने से पहले वहां से बच निकले।

गैस सिलेंडर नियम, 2004 के अंतर्गत :-

1. दिनांक : 28/09/2010 – स्थान : निओरिया, हुसेनपुर, जिला – पिलीभित, उत्तर प्रदेश,

मृत – 6, घायल – कोई नहीं

मेसर्स शांति गैस सेवा, निओरिया, हुसेनपुर, जिला – पिलीभित, स्थित एलपीजी गोदाम में इम्प्रोवाइज्ड फिलिंग उपकरणों की मदद से सिलेंडरों की अवैध रूप से फिलिंग के दौरान, एलपीजी का रिसाव होकर गैस कमरे में फैल गई। जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला गया, प्रज्वलन के किसी स्रोत के कारण कमरे में संचित एलपीजी में आग लग गई तथा उसके पश्चात भारी विस्फोट हुआ।

2. दिनांक : 21/01/2011 – स्थान : भद्राबाद, जिला – हरीद्वार, उत्तराखंड

मृत – 3, घायल – 5

मेसर्स शिवालिक एअर प्रॉडक्ट्स के ऑक्सीजन/कार्बन डाइऑक्साइड फिलिंग प्लांट में यह अग्नि दुर्घटना घटी। जब फिलिंग मॅनीफोल्ड का वाल्व खोला गया, मॅनीफोल्ड से जुड़े एक सिलेंडर में आग लग गई।

सारणी – 1  
मध्यांचल, आगरा  
वर्ष 2010–2011 के दौरान किये गये निरीक्षणों का विवरण

(i) अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसर

	अधिनियम तथा नियम	अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसरों की संख्या एवं निरीक्षण				
		1.4.2010 को	वर्ष 2010–11 के दौरान दी गई अनुज्ञप्तियां	वर्ष 2010–11 के दौरान रद्द की गयी अनुज्ञप्तियां	योग 31.3.2011 तक	वर्ष 2010–11 के दौरान किये गये निरीक्षण
<b>1</b>	<b>विस्फोटक अधिनियम 1884 के अंतर्गत</b>					
	1. विस्फोटक नियम 2008					
	श्रेणी 'अ'	2445	65	0	2510	455
	श्रेणी 'ब'	1311	56	31	1336	463
	2. गैस सिलेण्डर नियम, 2004	3178	403	0	3581	928
	3. स्थिर तथा गतिशील दाबपात्र (अज्वलित) नियम, 1981	1569	26	28	1567	388
	<b>योग (1)</b>	<b>8503</b>	<b>550</b>	<b>59</b>	<b>8994</b>	<b>2234</b>
<b>2</b>	<b>पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के अंतर्गत</b>					
	1. विस्फोटक नियम 2002					
	श्रेणी 'अ'	123	0	0	123	459
	श्रेणी 'ब'	32306	2170	123	34353	2020
	2. कैलशियम कार्बाइड नियम, 1987	27	0	0	27	7
	3. सिनेमेटोग्राफ फिल्म नियम, 1948	0	0	0	0	0
	<b>योग (2)</b>	<b>32456</b>	<b>2170</b>	<b>123</b>	<b>34503</b>	<b>2486</b>
	<b>(1) व (2) का योग</b>	<b>40959</b>	<b>2720</b>	<b>182</b>	<b>43497</b>	<b>4720</b>

सारणी – 1  
(II) अनुमोदित परिसर

	अधिनियम तथा नियम	अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसरों की संख्या एवं निरीक्षण				
		1.4.2010 को	वर्ष 2010-11 के दौरान अनुमोदित	वर्ष 2010-11 के दौरान रद्द की गयी अनुमोदन	योग 31.3.2011 तक	वर्ष 2010-11 के दौरान किए गये निरीक्षण
1	विस्फोटक अधिनियम 1884 के अंतर्गत					
	1. विस्फोटक नियम 2008					
	श्रेणी 'अ'	0	0	0	0	0
	श्रेणी 'ब'	0	0	0	0	0
	2. गैस सिलेण्डर नियम, 2004	115	0	0	115	12
	3. स्थिर तथा गतिशील दाबपात्र नियम, 1981	19	0	0	19	1
	<b>योग (1)</b>	<b>134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134</b>	<b>13</b>
2	पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के अंतर्गत					
	1. विस्फोटक नियम 2002					
	श्रेणी 'अ'	0	0	0	0	2
	श्रेणी 'ब'	533	27	0	560	1
	2. कैल्शियम कार्बाइड नियम, 1987	0	0	0	0	0
	3. सिनेमेटोग्राफ फिल्म नियम, 1948	0	0	0	0	0
	<b>योग (2)</b>	<b>533</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>560</b>	<b>3</b>
	<b>(1) व (2) का योग</b>	<b>667</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>694</b>	<b>16</b>
	<b>(I) व (II) का योग</b>	<b>41626</b>	<b>2747</b>	<b>182</b>	<b>44191</b>	<b>9456</b>

मध्यांचल, आगरा

अनुज्ञप्ति प्राप्त तथा निरीक्षण किए गए परिसर दर्शाता ग्राफ वर्ष 2010–2011

## दुर्घटनाओं की जाँच

### उत्तरी अंचल, फरीदाबाद

स्थिर तथा गतिषिल दाबपात्र (अज्वलित) नियम, 1981 के अंतर्गत :-

1. दिनांक : 05/04/2010 – स्थान : श्रीनगर, जिला – जम्मू और कश्मीर

मृत – 1, घायल – कोई नहीं

बीपीसीएल, लालरू, पंजाब के बॉटलींग प्लांट से 12 मीट्रिक टन एलपीजी ले जा रहा एलपीजी रोड टैंकर पंजीकरण संख्या एचआर-55/ई-6526, श्रीनगर जाते वक्त रास्ते में संतुलन खोने से गहरी घाटी में गिर गया। वेसल का लिक्विड वाल्व दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गया और किसी बाहरी स्रोत से रिसे हुए एलपीजी ने आग पकड़ ली।

गैस सिलेंडर नियम, 2004 के अंतर्गत :-

1. दिनांक : 30/05/2010 – स्थान : बदलवास, जिला – झुनझुन, राजस्थान

मृत – कोई नहीं, घायल – कोई नहीं

दिनांक 30/05/2010 को मेसर्स आईओसी लिमिटेड, बदलवास, जिला – झुनझुन (राजस्थान) के बॉटलींग प्लांट से एलपीजी से भरे 300 सिलेंडरों को लेकर एक ट्रक एलपीजी गोदाम पर वितरण के लिए रवाना हुआ। रास्ते में ट्रक का पिछला पहिया पंक्चर हो गया मगर वाहन चालक ने ट्रक को नहीं रोका और इस प्रक्रिया में टायर में भारी घर्षण के कारण आग लग गई। चालक ने तुरंत ट्रक रघुनाथपुरा, सुरजगढ़, जिला – झुनझुन के पास मेसर्स आईओसीएल के एक रिटेल आउटलेट में पार्क किया। तभी अचानक ट्रक में आग/विस्फोट हुआ और पुरा ट्रक आग की चपेट में आ गया। परिणामस्वरूप 130 सिलेंडरों में विस्फोट हुआ और 170 सिलेंडर क्षतिग्रस्त हो गए। रिटेल आउटलेट के तीन डिस्पेंसिंग यूनिट भी इस दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गए।

2. दिनांक : 04/02/2010 – स्थान : रोहाड, झाज्जर, हरियाणा

मृत – 1, घायल – कोई नहीं

यह दुर्घटना भसीन गॅसेस, रोहाड, तहसील बहादुरगढ़, झाज्जर, हरियाणा में 04/02/2011 को प्रातः 01.45 पर घटी। जाँच के दौरान यह पता चला कि उक्त दुर्घटना रात को सिलेंडर भरने के समय हुई। अनुमोदित नाईट फिलींग और सक्षम व्यक्ति द्वारा उचित पर्यवेक्षण का ना होना दुर्घटना के संभावित कारण हो सकते हैं।



## पेट्रोलियम नियम 2004 के अंतर्गत :-

1. दिनांक : 01/04/2010 – स्थान : यमुनानगर, हरियाणा

मृत – कोई नहीं, घायल – कोई नहीं

मेसर्स आईओसी लिमिटेड के परिसर में अग्नि दुर्घटना घटी। डिस्पेंसिंग यूनिट में रिसे हुए एमएस से उत्पन्न वाष्प में आग लग गई। डिस्पेंसिंग यूनिट के बिजली के लूज वायरिंग प्रज्वलन का स्रोत हो सकते हैं।

2. दिनांक : 19/06/2010 – स्थान : जोधपुर

मृत – कोई नहीं, घायल – 1

मेसर्स एचपीसी लिमिटेड, जोधपुर के सालावास डिपो के बे नंबर 7 में पेट्रोलियम रोड टैंकर के कपार्टमेंट नंबर 1 तथा 2 में एमएस लोड करने के लिए लाया गया था तथा इसके बाद कपार्टमेंट नंबर 3 तथा 4 में एचएसडी लोड करने के लिए टैंकर बे नंबर 3 में ले जाया गया। लेकिन एचएसडी लोड करने से पहले ही डिस्चार्ज फॉसिट नंबर 2 से एमएस का रिसाव शुरू हो गया। चालक ने क्लोसिंग वाल्व कसने की कोशिश की लेकिन फॉसिट ओपनिंग पर आग लग गई।

## अनुज्ञप्त परिसर के अंतर्गत :-

1. दिनांक : ..... – स्थान : चंडिगढ़

मृत – कोई नहीं, घायल – 8

दुर्घटना जल आपूर्ति विभाग, चंडीगढ़ के ट्यूबवेल के कमरे में पानी के क्लोरीनेशन के लिए रखे सिलेंडर से क्लोरीन के रिसाव के कारण दुर्घटना घटी। सिलेंडर वाल्व का रोटामिटर के साथ कनेक्शन ठीक नहीं होने के वजह से रिसाव हुआ। विषाक्त गैस सिलेंडर हैण्डल करने हेतु पर्यवेक्षक प्रशिक्षित नहीं था।

2. दिनांक : ..... – स्थान : चंडिगढ़

मृत – 6, घायल – 11

दुर्घटना ग्राम फज्जीपुर, जिला गुरदासपुर (पंजाब) में घटी जहां अन-अनुज्ञप्त परिसर में अवैध आतिशबाजी के निर्माण किया जा रहा था। घर में रखे आतिशबाजी/आतिशबाजी का कच्चा माल शायद किसी बाहरी स्रोत से प्रज्वलित होकर विस्फोट हुआ, जिसमें नौ आवासीय मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए।

सारणी – 1  
उत्तरी अंचल, फरीदाबाद  
वर्ष 2010–2011 के दौरान किये गये निरीक्षणों का विवरण  
(I) अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसर

	अधिनियम तथा नियम	अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसरों की संख्या एवं निरीक्षण				
		1.4.2010 को	वर्ष 2010–11 के दौरान दी गई अनुज्ञप्तियां	वर्ष 2010–11 के दौरान रद्द की गयी अनुज्ञप्तियां	योग 31.3.2011 तक	वर्ष 2010–11 के दौरान किये गये निरीक्षण
1	<b>विस्फोटक अधिनियम 1884 के अंतर्गत</b>					
	1. विस्फोटक नियम 2008					
	श्रेणी 'अ'	2204	33	0	2237	466
	श्रेणी 'ब'	551	436	0	987	434
	2. गैस सिलेण्डर नियम, 2004	3600	172	0	3772	570
	3. स्थिर तथा गतिशील दाबपात्र (अज्वलित) नियम, 1981	5061	351	274	5138	546
	<b>योग (1)</b>	<b>11416</b>	<b>992</b>	<b>274</b>	<b>12134</b>	<b>2016</b>
2	<b>पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के अंतर्गत</b>					
	1. विस्फोटक नियम 2002					
	श्रेणी 'अ'	196	0	0	196	111
	श्रेणी 'ब'	30381	992	60	31313	1430
	2. कैलशियम कार्बाइड नियम, 1987	62	3	0	65	4
	3. सिनेमेटोग्राफ फिल्म नियम, 1948	0	0	0	0	0
	<b>योग (2)</b>	<b>30639</b>	<b>995</b>	<b>60</b>	<b>31574</b>	<b>1545</b>
	<b>(1) व (2) का योग</b>	<b>42055</b>	<b>1987</b>	<b>334</b>	<b>43708</b>	<b>3561</b>

सारणी – 1

(II) अनुमोदित परिसर

		अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसरों की संख्या एवं निरीक्षण				
	अधिनियम तथा नियत	1.4.2010 को	वर्ष 2010-11 के दौरान अनुमोदित	वर्ष 2010-11 के दौरान रद्द की गयी अनुमोदन	योग 31.3.2011 तक	वर्ष 2010-11 के दौरान किए गये निरीक्षण
1	विस्फोटक अधिनियम 1884 के अंतर्गत					
	1. विस्फोटक नियम 2008					
	श्रेणी 'अ'	39	58	0	97	193
	श्रेणी 'ब'	1922	7	0	1929	0
	2. गैस सिलेण्डर नियम, 2004	247	55	0	302	55
	3. स्थिर तथा गतिशील दाबपात्र नियम, 1981	42	0	0	42	0
	<b>योग (1)</b>	<b>2250</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>2370</b>	<b>248</b>
2	पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के अंतर्गत					
	1. विस्फोटक नियम 2002					
	श्रेणी 'अ'	3	0	0	3	0
	श्रेणी 'ब'	2542	488	0	3030	125
	2. कैल्शियम कार्बाइड नियम, 1987	0	0	0	0	0
	3. सिनेमेटोग्राफ फिल्म नियम, 1948	0	0	0	0	0
	<b>योग (2)</b>	<b>2545</b>	<b>488</b>	<b>0</b>	<b>3033</b>	<b>125</b>
	<b>(1) व (2) का योग</b>	<b>4795</b>	<b>608</b>	<b>0</b>	<b>5403</b>	<b>373</b>
	<b>(I) व (II) का योग</b>	<b>46850</b>	<b>2595</b>	<b>334</b>	<b>49111</b>	<b>3934</b>

उत्तर अंचल, फरीदाबाद

अनुज्ञप्ति प्राप्त तथा निरीक्षण किए गए परिसर दर्शाता ग्राफ वर्ष 2010–2011

## दुर्घटनाओं की जाँच पूर्वाचल, कोलकाता

विस्फोटक नियम, 2008 के अंतर्गत :-

1. दिनांक : 09/02/2011 – स्थाई : सबडेगा, जिला – सुंदरगढ़

मृत – 1, घायल – कोई नहीं

दिनांक 09/02/2011 को प्रातः करीबन 10.00 बजे मेसर्स गल्फ ऑईल कारपोरेशन लिमिटेड की 8.5 लाख मेट्रिक टन विस्फोटकों से भरी हुई एक विस्फोटक वैन के साथ एक सड़क दुर्घटना हुई। उस वैन के चालक की अस्पताल में मौत हो गई तथा वैन क्षतिग्रस्त हो गई। वाहन में रखे विस्फोटक सुरक्षित रहें जिन्हें अन्य विस्फोटक वैन में स्थानांतरित कर दिया गया।

2. दिनांक : 25/02/2011 – स्थान : बिगाची, जि. उत्तर 24–परगनास, पश्चिम बंगाल

मृत – 1, घायल – कोई नहीं

मेसर्स ओएनजीसी के ग्राम बिगाची, सरदार पारा; उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल के सेस्मीक एक्सप्लोरेशन साइट पर दिनांक 25/02/2011 को एक विस्फोट दुर्घटना घटी। साइट के लिए विस्फोटक सामग्री, विस्फोटक मॅगजीन से जारी की गई थी और विस्फोटक वैन के माध्यम से पहुँचाई गई थी। मामला जांच के अधीन है।

3. दिनांक : 08/03/2011 – स्थान : कुसुम मोरे ग्राम, गुमला, झारखंड

मृत – 2, घायल – कोई नहीं

दिनांक 08/03/2011 को सुबह लगभग 11.45 बजे, मेसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, लोहारडांगा का 10,000 साधारण डेटोनेटर का केवल एक बक्सा ले जा रहे एक विस्फोटक वैन में कुसुम मोरे गांव, चुलामाटी, घाघरा जि.– गुमला, झारखंड में अग्नि दुर्घटना हुई। शायद खड़ी चढाई पर विस्फोटक वैन के मोड लेने पर डेटोनेटर बॉक्स के फिसलने तथा वैन से टकराने से उत्पन्न कंपन से हुए प्रज्वलन या फिर नक्सलियों द्वारा तोड़-फोड़ दुर्घटना के संभावित कारण हो सकते हैं।

स्थिर तथा गतिशील दाबपात्र (अज्वलित) नियम, 1981 के अंतर्गत :-

1. दिनांक : 15/07/2010 – स्थान : कोडरमा घाटी, कोडरमा, झारखंड  
मृत – कोई नहीं, घायल – कोई नहीं  
राष्ट्रीय महामार्ग पर एलपीजी रोड टैंकर से सेफ्टी रिलिफ वाल्व से रिसाव हुआ जिसमें आग लग गई।

पेट्रोलियम नियम 2004 के अंतर्गत :-

1. दिनांक : 01/06/2010 – स्थान : पटना, बिहार  
मृत – 1, घायल – 1  
दिनांक 01/06/2010 को बोरींग रोड, पटना स्थित मेसर्स आइओसीएल के रिटेल आउटलेट में टैंक लॉरी से भूमिगत टैंक में एमएस के डीकैन्टेशन के दौरान अग्नि दुर्घटना घटी।
2. दिनांक : 03/08/2010 – स्थान : मउखोआ, गोलाघाट, असम  
मृत – कोई नहीं, घायल – कोई नहीं  
दिनांक 03/08/2011 की दोपहर 3.30 बजे मउखोआ, गोलाघाट, असम के एक रिटेल आउटलेट में अग्नि विस्फोट दुर्घटना घटी। दुर्घटना के कारण संभवतः डिस्पैसिंग यूनिट के लूज वायरिंग से उत्पन्न चिंगारी हो सकता है या फिर दुर्घटना के समय पर मोबाइल के प्रयोग से पेट्रोलियम वाष्प में आग लग गई।

**सारणी – 1**  
**पूर्वांचल, कोलकाता**  
**वर्ष 2010–2011 के दौरान किये गये निरीक्षणों का विवरण**

**(I) अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसर**

	अधिनियम तथा नियम	अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसरों की संख्या एवं निरीक्षण				
		1.4.2010 को	वर्ष 2010–11 के दौरान दी गई अनुज्ञप्तियां	वर्ष 2010–11 के दौरान रद्द की गयी अनुज्ञप्तियां	योग 31.3.2011 तक	वर्ष 2010–11 के दौरान किए गये निरीक्षण
<b>1</b>	<b>विस्फोटक अधिनियम 1884 के अंतर्गत</b>					
	1. विस्फोटक नियम 2008					
	श्रेणी 'अ'	2647	163	0	2810	681
	श्रेणी 'ब'	106	2	0	108	230
	2. गैस सिलेण्डर नियम, 2004	1973	278	0	2251	707
	3. स्थिर तथा गतिशील दाबपात्र (अज्वलित) नियम, 1981	2908	473	274	3107	668
	<b>योग (1)</b>	<b>7634</b>	<b>916</b>	<b>274</b>	<b>8276</b>	<b>2286</b>
<b>2</b>	<b>पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के अंतर्गत</b>					
	1. विस्फोटक नियम 2002					
	श्रेणी 'अ'	48	0	0	48	67
	श्रेणी 'ब'	22888	3432	170	26150	1787
	2. कैल्शियम कार्बाइड नियम, 1987	149	0	0	149	3
	3. सिनेमेटोग्राफ फिल्म नियम, 1948	0	0	0	0	0
	<b>योग (2)</b>	<b>23085</b>	<b>3432</b>	<b>170</b>	<b>26347</b>	<b>1857</b>
	<b>(1) व (2) का योग</b>	<b>30719</b>	<b>4348</b>	<b>444</b>	<b>34623</b>	<b>4143</b>

सारणी – 1

(II) अनुमोदित परिसर

	अधिनियम तथा नियम	अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसरों की संख्या एवं निरीक्षण				
		1.4.2010 को	वर्ष 2010-11 के दौरान अनुमोदित	वर्ष 2010-11 के दौरान रद्द की गयी अनुमोदन	योग 31.3.2011 तक	वर्ष 2010-11 के दौरान किए गये निरीक्षण
1	विस्फोटक अधिनियम 1884 के अंतर्गत					
	1. विस्फोटक नियम 2008					
	श्रेणी 'अ'	30	0	0	30	0
	श्रेणी 'ब'	0	0	0	0	0
	2. गैस सिलेण्डर नियम, 2004	468	0	0	468	3
	3. स्थिर तथा गतिशील दाबपात्र नियम, 1981	419	0	0	419	0
	<b>योग (1)</b>	<b>917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>917</b>	<b>3</b>
2	पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के अंतर्गत					
	1. विस्फोटक नियम 2002					
	श्रेणी 'अ'	7	0	0	7	0
	श्रेणी 'ब'	2148	4	0	2152	17
	2. कैल्शियम कार्बाइड नियम, 1987	0	0	0	0	0
	3. सिनेमेटोग्राफ फिल्म नियम, 1948	0	0	0	0	0
	<b>योग (2)</b>	<b>2155</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2159</b>	<b>17</b>
	<b>(1) व (2) का योग</b>	<b>3072</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>3076</b>	<b>20</b>
	<b>(I) व (II) का योग</b>	<b>33791</b>	<b>4352</b>	<b>444</b>	<b>37699</b>	<b>4163</b>



पूवाचल, कोलकाता

अनुज्ञप्ति प्राप्त तथा निरीक्षण किए गए परिसर दर्शाता ग्राफ वर्ष 2010–2011

पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन का संगठनात्मक ढाँचा

पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन के अंचल तथा उप-अंचल कार्यालयों के क्षेत्राधिकार

संख्या	अंचल तथा उपअंचल कार्यालय के नाम	पता	क्षेत्राधिकार	टेलिफोन और फॅक्स नं.
ए.	मुख्यालय	ई मेल : <a href="mailto:explosives@explosives.gov.in">explosives@explosives.gov.in</a>	वेबसाईट :- <a href="http://peso.gov.in">http://peso.gov.in</a>	
01	नागपुर	मुख्य विस्फोटक नियंत्रक पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन, केन्द्रीय सरकार कार्यालय परिसर पाँचवा तल, सेमिनरी हिल्स, नागपुर-440006	पुरा भारत	एस.टी.डी.: 0712 दुरभाष : 2510103 2510580, 2510459, 2510389, 2510579, 2512006, 2510072, 2512091, 2510139, 2512093, 2512094, 2511512 इपीएबीएक्स :2510248 फैक्स : 2510577 तार : Explosives
बी.	पश्चिम अंचल	ई मेल : <a href="mailto:jtccemumbai@explosives.gov.in">jtccemumbai@explosives.gov.in</a>		
01	मुम्बई	संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, ए-1 ओर ए-2 विंग केन्द्रीय सरकार कार्यालय परिसर, पाँचवा तल, सी.बी.डी. बेलापुर, नवी मुंबई-400614 (महा.)	गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा दमन और दिव, दादरा और नगर हवेली	एस.टी.डी.: (022) दुरभाष : 27564941 27573881 इपीएबीएक्स:27575946 फैक्स : 27575967 तार : INSWEST
उपसंचालक कार्यालय				

02	बडौदा	उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, 8 वा तल, यशकमल बिल्डिंग, सयाजीगंज, बडौदा-390020	गुजरात	एस.टी.डी.: (0265) दुरभाष : 2361035, 2251594 फैक्स : 2225952 तार : Explosives
कारखाने से जुड़ा कार्यालय ई मेल :- <a href="mailto:jcebhn@nagpur.dot.net.in">jcebhn@nagpur.dot.net.in</a>				
03	भंडारा	विस्फोटक नियंत्रक, क्वॉटर नं.16/1, टाईप: 4, ऑर्डिनन्स फॅक्टरी परीसर, जवाहरनगर, भंडारा-441906 (महा.)	महाराष्ट्र के भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर व गडचिरोली जिले	एस.टी.डी.: (07184) दुरभाष : 275261 फैक्स : 275261
कारखाने से जुड़ा कार्यालय				
04	वर्धा	विस्फोटक नियंत्रक, गिताईनगर, धुनिवाले मठ के सामने नागपूर रोड गोपुरी, वर्धा-442001	महाराष्ट्र के वर्धा, यवतमाल, वाशिम, हिंगोली, अकोला, अमरावती, नांदेड, परभनी, बुलढाना जिले	एस.टी.डी.: (07152) दुरभाष : 245006, 254656 फैक्स : 230370
सी.	पूर्वांचल, कोलकाता	ई मेल :- <a href="mailto:jtccekkolkata@explosives.gov.in">jtccekkolkata@explosives.gov.in</a>		
01	कोलकाता	संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, पूर्वांचल, 8-एक्सप्लेनेड पूर्व, पहली मंजिल, कोलकाता-700069 (प. बं.)	पश्चिम बंगाल, बिहार, उडिसा, असम, मनीपुर, त्रिपुरा, अरुणांचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह	एस.टी.डी.: (033) दुरभाष : 22480427, 22486600, 22489524, 22130895 फैक्स : 22439322 तार : INSEAST
उपअंचल कार्यालय				

02	आसनसोल	उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, 93 शशिभुषण गोराई रोड, पो.ऑ. आसनसोल, जिला बर्दवान-713301 (प.बं.)	बर्दवान के जिले, बांकुरा, पुरुलिया, (पश्चिम बंगाल), और धनबाद (झारखंड)	एस.टी.डी.: (0341) दुरभाष : 2283834 फैक्स : 2283967 तार : Explosives
उपअंचल कार्यालय				
03	गुवाहाटी	उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, जी.एन.बी. रोड भवन मैसन के पास, चौथी मंजिल, पंचवटी, सीलपुरखारी, गुवाहाटी -781003 (असम)	असम, मनिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम	एस.टी.डी.: (0361) दुरभाष : 2662783 फैक्स : 2662503 तार : Explosives
उपअंचल कार्यालय				
04	हजारीबाग	उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, मुख्य पोस्ट ऑफिस के सामने, झुलुपार्क हजारीबाग 825301 (बिहार)	धनबाद जिला छोडकर बिहार/झारखंड तथा आयसीआय फॅक्ट्री, गोमीया.	एस.टी.डी.: (06546) दुरभाष : 228203 फैक्स : 222745 तार : Explosives
उपअंचल कार्यालय				
05	राउरकेला	उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, सेक्टर-6, बी-274, राउरकेला-769 012 उडीसा.	उडीसा	एस.टी.डी.: (00661) दुरभाष : 2640098, 2642395 फैक्स : 2650784 तार : Explosives
कारखाने से जुडा कार्यालय				
06	गोमिया	विस्फोटक नियंत्रक, पो.	गिरीडीह, कोडरमा और	एस.टी.डी.: (06544)

		ओ. – इंडियन एक्सप्लोसिव, गोमिया- 829112 (झारखण्ड)	देवघर	दुरभाष : 261253 फैक्स : 261253 तार : INSGOM
	दक्षिण अंचल, चेन्नई ई मेल :- <a href="mailto:jtccechennai@explosives.gov.in">jtccechennai@explosives.gov.in</a>			
01	चेन्नई	संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक नं.140, रूक्मणि लक्ष्मीपती रोड, मार्शलस रोड, एगमोर, चेन्नई – 600008 (तमिलनाडू)	तामिलनाडू, कर्नाटक, केरल, आंध्रप्रदेश, पाण्डिचेरी और लक्षद्वीप	एस.टी.डी.: (044) दुरभाष : 28515464, 28419529, 28429945-47 फैक्स : 2427276 तार : Explosives
	उपअंचल कार्यालय			
02	एरनाकुलम	उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, सी-2, 3 रा माला, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, सीएसईझेड सामने, काक्कानाड, एरनाकुलम, कोची-682037 (केरल)	केरल, पाण्डिचेरी संघशासित क्षेत्र के अंतर्गत माहे	एस.टी.डी.: (044) दुरभाष : 2427276, 2427286 फैक्स : 2427276 तार : Explosives
	उपअंचल कार्यालय			
03	मंगलौर	उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, दूसरी मंजिल, सिटी सेंटर, हॉटेल रूपा के सामने, बलमाता रोड मंगलौर-575001 (कर्नाटक)	कर्नाटक	एस.टी.डी.: (0824) दुरभाष : 230453, 254402 फैक्स : 230233 तार : Explosives
	उपअंचल कार्यालय			

04	सिवाकासी	उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, एफआरडीसी, एफएसआय अस्पताल के पिछे, सिवाकासी	तमिलनाडू के रामनाथपुरम, मदुराई, तिरुनेलवेली, तंजावूर, थेनी, कन्याकुमारी, विरुदुनगर, टुटीकोरीन, डिन्डीगुल, मदुराई, डिन्डीगुल अन्ना और नागापट्टीनम जिले	एस.टी.डी.: (04562) दुरभाष : 230453, 254402 फैक्स : 230233 तार : Explosives
कारखाने से जुड़ा कार्यालय				
05	वेल्लूर	विस्फोटक नियंत्रक, डी-57, पहली मंजिल काटपाडी रोड, गांधीनगर, वेल्लूर-632 006 (तमिलनाडू)	तमिलनाडू के वेल्लूर धरमपुरी, तीरुवंनामलम, सालेम, ब्रोडे और कोईंबतुर जिले	एस.टी.डी.: (0416) दुरभाष : 2241642 फैक्स : 2242513
उपअंचल कार्यालय				
06	हैद्राबाद	उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, केंद्रीय सदन, पहली मंजिल, सुलतान बाजार, कोटी, हैद्राबाद - 500195 (आंध्रप्रदेश)	आंध्रप्रदेश, संघशासित क्षेत्र पांडीचेरी के अंतर्गत येनम	एस.टी.डी.: (040) दुरभाष : 24600359 फैक्स : 24617803 तार : Explosives
ई.	मध्यांचल	ई मेल :- <a href="mailto:jtceagra@explosives.gov.in">jtceagra@explosives.gov.in</a>		
01	आगरा	संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, 63/4, ए-विंग, दुसरी मंजिल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, संजय पॅलेस, आगरा-282002 (उ.प्र.)	उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल और छत्तीसगढ़	एस.टी.डी.: (0562) दुरभाष : 2521322, 2523244, 2523266 फैक्स : 2527436 तार : Explosives

	उपअंचल कार्यालय			
02	इलाहाबाद	उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, सेक्टर-1, भवन नं.66, लाजपत राय रोड, इलाहाबाद-211 001 (उ.प्र.)	उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, आंबेडकर नगर, आजमगढ, बहराइच, बलरामपूर, बलियां, बाराबांकी, बस्ती, भदोही, चंदौली, देवरीया, फैजाबाद, गाजीपुर, गोंदा, गोरखपुर, हरदोई, जौनपुर, कबीरनगर, कौशाम्बी, लाखीमपुर, खेरी, लखनऊ, मिर्जापुर, मउ, महाराजगंज, प्रतापगढ, श्रावस्ती, सीद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुलतानपुर, बनारस जिले	एस.टी.डी.: (0532) दुरभाष : 2250329, 2441491 फैक्स : 2644964
	उपअंचल कार्यालय			
03	भोपाल	उपमुख्य विस्फोटक नियंत्रक, ई-8 / 23, बसंत कुंज, अरेरा कॉलोनी, भोपाल-462039.	मध्यप्रदेश	एस.टी.डी.: (05176) दुरभाष : 274592 फैक्स : 274592
एफ.	उत्तरी अंचल कार्यालय		ई मेल :-	<a href="mailto:jtccfaridabad@explosives.gov.in">jtccfaridabad@explosives.gov.in</a>
	उपअंचल कार्यालय			



02	चंडीगढ़	उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, शॉप कम ऑफिस बिल्डींग, 1134 / 1135, सेक्टर-22 / बी, चंडीगढ़ - 160002	पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा चंडीगढ़	एस.टी.डी.: (0172) दुरभाष : 2702586, 2727234 फैक्स : 2725839
	उपअंचल कार्यालय			
03	जयपुर	उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, आम्रपाली रोड, आम्रपाली पावर हाउस के पास, वैशाली नगर, जयपुर-302004.	राजस्थान	एस.टी.डी.: (0141) दुरभाष : 2356731 फैक्स : 2350279
जी.	परिक्षण केंद्र			
01	गोंडखैरी	उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, परिक्षण केंद्र, 18 किमी, अमरावती रोड, गोंडखैरी, नागपुर -440023 (महा)		एस.टी.डी.: (07104) दुरभाष : 280374, 280305 फैक्स : 280565
एच.	आतिशबाजी अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, (एफ.आर.डी.सी.)			
01	सिवाकासी	आतिशबाजी अनुसंधान एवं विकास केंद्र, ग्राम-अनैयुर, ईएसआय अस्पताल के पिछे, सिवाकासी (पश्चिम), जिला- विरूदुनगर 626124 (तामिलनाडु)	---	एस.टी.डी.: (04562) दुरभाष : 254402, 230453 फैक्स : 2510819
आय.	वेतन तथा लेखा कार्यालय			

01	नागपुर	वेतन तथा लेखा अधिकारी सीजीओ कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक-सी, पहिली मंजिल, सेमिनरी हिल्स, नागपुर-440006 (महा.)	---	एस.टी.डी.: (0172) दुरभाष : 2510819 फैक्स : 2510819
----	--------	--	-----	--

## संगठन के विभिन्न कार्यालयों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्वीकृत पद

पद का नाम	मु.का.	टी.एस. गोंडखैरी	चेन्नई	कोलकाता	फरिदाबाद	आगरा	मुंबई	उप- अंचल कार्यालय	फैक्ट्री संलग्न कार्यालय	कुल
मु.वि.नि.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
सं.मु.वि.नि.	2	0	1	1	1	1	1	0	0	7
उप मु.वि.नि.	4	1	1	1	1	1	1	13	0	23
वि.नि.	6	2	5	4	3	3	5	13	5	46
उप वि.नि.	0	2	3	3	3	3	3	23	5	45
प्र. अ.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ले.अ.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
एस.पी.ए.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
हिं.अ.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
एस.टी.ए.	0	4	0	1	0	1	0	0	0	6
का.अ.	4	0	3	3	3	3	3	0	0	19
आशु.1	4	0	1	1	1	1	1	4	0	13
पुस्त.सहा.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
लेखापाल	1	0	1	1	1	0	1	0	0	6
सहायक	10	1	2	2	2	2	2	13	0	34
उ.श्रे.लि.	15	1	9	10	4	5	9	18	1	72
नि.श्रे.लि.	15	5	10	5	4	6	8	14	4	79
आशुलि- II	4	1	3	3	1	1	2	12	0	27

आशुलि-।।।	0	0	0	0	0	0	1	6	0	11
जे.टी.ए.	1	6	0	0	0	0	1	0	1	9
जे.एच.टी.	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
चालक	1	1	2	2	2	2	2	13	0	25
गुप डी	9	6	7	6	2	5	6	20	3	64
कुल	83	30	48	43	27	36	46	148	19	480

वर्ष 2010-2011 के दौरान विस्फोटकों का उत्पादन

क्रं.	विवरण	वर्ग	उत्पादन
1	गन पावडर	1 प्रभाग.0	6,88,583 किलो
2	नाईट्रेट मिश्रण	2 प्रभाग	18,35,33,712 किलो
3	एस. एम. ई.	2 प्रभाग	35,99,43,512 किलो
4	पीईटीएन + कास्ट बुस्टर	3 प्रभाग.2	35,73,818 किलो
5	सेप्टी फ्यूज	6 प्रभाग.1	7,70,68,03.5 मीटर
6	डिटोनेटर फ्यूज	6 प्रभाग.2	28,46,73,074 मीटर
7	डिटोनेटर	6 प्रभाग.3	72,42,50,160 नग

## विस्फोटकों का आयात तथा निर्यात

### आयात :-

वर्ष 2010-11 के दौरान शॉर्ट डिले डिटोनेटर तथा विशिष्ट प्रकार के विस्फोटकों के आयात के लिये **140 अनुज्ञप्तियां** प्रदान की गयी, जिनका प्रयोग आईल इंडिया लि., केर्न एनर्जी इंडिया लि., बी. जी. एक्सप्लोरेशन एण्ड प्रोडक्शन एशिया लि., एचएलएस इंडिया लि., आईल एण्ड नैचरल गैस इस्टेर्न एनर्जी कॉ. लि., नीको रिसोर्सेस लि., रिलायन्स इन्डस्ट्रीज लि., जिओइन्प्रो पेट्रोलियम लि., ग्रेट इस्टर्न एनर्जी कॉ. लि., जोशी टेक्नोलॉजीज इन्टरनॅशनल इंक., श्लुमबरजर एशिया सर्व्हीसेस लि., गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉ. लि., इलेक्ट्रोनीक्स कॉ. ऑफ इंडिया लि., इंडियन एक्सप्लोझिक्स लि., राजस्थान एक्सप्लोझिक्स एण्ड केमिकल लि., आयडियल डिटोनेटर प्रा. लि., सेलन एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी लि., फोकस एनर्जी लि., प्रीमिअर एक्सप्लोझिक्स लि., ओएओ "गॅसप्रोम", प्रीमिअर आइल (नार्थ ईस्ट इंडीया) बीवी, इसार आइल लि., एण्ड मरीन सेफ्टी प्रोडक्ट्स, एएस मोलूभोय एण्ड सन्स, एसएचएम शिपकेयर फॉर शिपिंग सिग्नल्स (पायरोटेक्निक्स) और श्रीजन सिस्टम प्रा. लि. पायरोटेक्नीक स्केयर कारट्रेजेस के प्रयोग हेतु (एण्टी बर्ड डिवायसेस), एअर पोर्ट एथोरिटी ऑफ इंडिया एण्ड एअर फोर्स स्टेशन के उपयोग के द्वारा किया गया। आयात किए गए विस्फोटको का मुल्य रु. 39.58 करोड़ था।

### निर्यात :-

वर्ष 2010-2011 के दौरान 311 अनुज्ञप्तियां निर्यात के लिये जारी कि गई। निर्यात किए गए विस्फोटको का मुल्य रु. 182.22 करोड़ था।

## विस्फोटकों का निर्यात तथा आयात

वर्ष 2010-2011 के दौरान विस्फोटकों का नष्टीकरण

वर्ग - 1	1.686 किलो
वर्ग - 2	1860 किलो
वर्ग - 3 प्रभाग.2	152 किलो
वर्ग - 6 प्रभाग.1	475.4 मीटर
वर्ग - 6 प्रभाग.2	1070 मीटर
वर्ग - 6 प्रभाग.3	3663 किलो
वर्ग - 7 प्रभाग.2	---
पीईटीएन	---



### गैस सिलेण्डर्स, वाल्व तथा रेगुलेटर्स का उत्पादन, आयात और निर्यात

#### गैस सिलेण्डर तथा वाल्व :

वर्ष 2008-2009, 2009-2010 तथा 200-2011 के दौरान सिलेण्डर वाल्व तथा रेगुलेटर्स के उत्पादनका तुलानात्मक विवरण निम्नानुसार हैं :-

क्र. संख्या	उत्पाद का विवरण	वर्ष के दौरान विनिर्मित (संख्या)		
		2008-2009	2009-10	2010-11
1.	निम्नलिखित के लिए वेल्ड किये हुए लोड कार्बन स्टील गैस सिलेण्डर :			
क.	एलपीजी	67,43,890	1,03,82,622	1,02,36,540
ख.	डिजॉल्ड ऐसीटिलीन गैस	8,222	9,490	7,330
ग.	अन्य कम दाब वाली द्रवित गैस	3,80,235	5,64,803	5,30,200
	<b>योग (क+ख+ग)</b>	<b>71,32,347</b>	<b>1,09,56,915</b>	<b>1,07,74,074</b>
2.	कम दाब वाले द्रवित गैस के लिए वेल्डड बडे कन्टेनर	11,938	50,291	40,450
3.	स्थायी तथा अधिक दाब के द्रवित गैस के लिए सीमलेस स्टील सिलेण्डर	5,81,171	8,59,233	10,11,958
4.	निम्नलिखित के लिए वाल्व :			
क.	एलपीजी सिलेण्डर	1,18,29,149	2,02,38,717	1,70,15,200
ख.	अन्य गैस सिलेण्डरों के लिए	27,88,326	34,08,842	2,01,22,010
	<b>योग (क+ख)</b>	<b>1,46,17,475</b>	<b>2,36,47,559</b>	<b>1,90,27,410</b>
5.	कम दाब वाले द्रवित पेट्रोलियम गैस रेगुलेटर	30,36,446	74,90,626	55,80,000

## सिलेण्डरों का आयात :

व्यापार तथा उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए हाय प्र्यूरिटी की परमनेन्ट गैस तथा गैस मिश्रण सिलेण्डरों में भरकर आयात करने की आवश्यकता होती है। इसलिए विभिन्न देशों से अधिक मात्रा में सिलेण्डरों के आयात के लिये स्वीकृति देने की आवश्यकता होती है। वर्ष 2010–2011 के दौरान विभिन्न गैसों/गैस मिश्रण से भरे 55,557 सिलेण्डरों के आयात तथा ऑटोमोबाइल में प्रयोग हेतु खाली सीएनजी सिलेण्डर सहित, संपीडित गैस से भरने हेतु 2,08,721 खाली सिलेण्डरों के आयात के लिए 979 अनुज्ञप्तियां प्रदान की गईं।

## सिलेण्डरों का निर्यात :

वर्ष 2010–2011 के दौरान कुल 7,85,916 भरे हुए सिलेण्डर्स का निर्यात हुआ जिससे 2,29,03,17,124 /– करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई।

## वाल्व तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस रेग्युलेटर्स का निर्यात :

कुल 5,20,340 वाल्व तथा 3,90,730 द्रवित पेट्रोलियम गैस रेग्युलेटर्स का वर्ष 2010–2011 के दौरान निर्यात किया गया जिससे कुल रुपये 3,90,80,225 /– तथा रु. 4,60,85,700 /– की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई।

## सिलेण्डर्स में भरे संपीडित गैस का निर्यात :

वर्ष 2010–2011 के दौरान 2,235 खाली सिलेण्डर्स/कन्टेनर्स को आयात करके तथा पुनः गैस से भरकर निर्यात किया गया जिससे लगभग 15 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई।

## गैर भरण प्लान्ट :

विभिन्न प्रकार की संपीडित गैसों को सिलेण्डर्स में भरने के लिए दिनांक 31/03/2011 तक 3847 गैस भरण प्लान्टों को संगठन द्वारा अनुज्ञप्तियाँ प्रदान की गईं।

**वॉल्व के विनिर्माताओं की सूची**  
(वर्ष 31.03.2010 तक अनुमोदित)

क्रम.	कंपनियों के नाम तथा पते	गैस सर्विस
1.	मेसर्स वनाज इंजिनिअर्स प्रा.लि. पुणे	ओ2, एन2, सीओ2, आरगॉन, सीएनजी
2.	मेसर्स एल.पी. गैस इक्वीपमेंट प्रा.लि., भरुच	एलपीजी
3.	मेसर्स कोसान इंडस्ट्रीज लि., सुरत	ओ2, एन2, सीओ2, आरगॉन
4.	मेसर्स प्राइम वाल्वज इंडस्ट्रीज प्रा.लि., कोइंबतुर	एलपीजी
5.	मेसर्स जगदंबा इंजिनिअर्स प्रा.लि., हैद्राबाद	एलपीजी
6.	मेसर्स बत्रा असोसिएट्स प्रा.लि., फरीदाबाद	एलपीजी
7.	मेसर्स बत्रा वाल्वज फरीदाबाद	ओ2, एच2, डीए, आरगॉन, एअर हिलियम, एन2, सीएनजी, आदि
8.	मेसर्स भारत वाल्वज फरीदाबाद	एच2, डीए, ब्युटाडाइन, एअर, इथीलीन, आरगॉन, हिलियम, ओ2
9.	मेसर्स कॅबसन्स गैस इक्वीपमेंट्स प्रा.लि., हैद्राबाद	एलपीजी
10.	मेसर्स ऐसाब इंडिया लि., पी-34, कोलकता	ओ2, एन2, सीओ2, आरगॉन, हिलियम
11.	मेसर्स कर्नाटक ऑक्सीजन लि., बैंगलोर	एअर, आरगॉन, हिलियम, एन2, ओ2
12.	मेसर्स प्रेसिजन फोरजींग्ज, इलाहाबाद	एअर, आरगॉन, हिलियम, ओ2, निऑन, एन2, आदि
13.	मेसर्स टेक्नो वाल्वज, कोलकता	ओ2, एन2, एअर, आरगॉन, हिलियम, निऑन तथा सीएनजी
14.	मेसर्स पॉवर फॅब्रीकेटर्स, सातारा	एलपीजी
15.	मेसर्स अशकिन फॅब्रीकेटर्स, हैद्राबाद	एलपीजी
16.	मेसर्स श्री बालाजी वाल्वज, चेन्नई	एलपीजी
17.	मेसर्स इंडोफॅब इंजिनिअर्स, हैद्राबाद	ओ2, एन2, एच2, एअर, आरगॉन, डीए, अमोनिया, क्लोरिन, सीओ2, आदि

18.	मेसर्स ट्रान्स वाल्वज इंडिया प्रा.लि., हैद्राबाद	एलपीजी
19.	मेसर्स इंडियन स्टील एण्ड अलाइड इंडस्ट्रीज, मुंबई	एलपीजी
20.	मेसर्स हिन्दूस्तान वायर्स लि., फरीदाबाद	एलपीजी
21.	मेसर्स मौर्या उद्योग लि., फरीदाबाद	एलपीजी
22.	मेसर्स विदर्भ गैस व्हेसल्स प्रा.लि., नागपूर	एलपीजी
23.	मेसर्स हैद्राबाद वाल्वज प्रा.लि., हैद्राबाद	एलपीजी
24.	मेसर्स मोनक इंडस्ट्रीज, मुंबई	एलपीजी
25.	मेसर्स प्रभा गॅस इलेक्ट्रॉनिक्स लि., चंडीगढ	एलपीजी
26.	मेसर्स इन्टेक इंजि. एण्ड सर्विसेस प्रा.लि., चेन्नई	एलपीजी
27.	मेसर्स स्पेस इंजिनिअरिंग, चेन्नई	एलपीजी
28.	मेसर्स वाल्व टेक्स प्रा.लि., चित्तौर	ओ2, एन2, आरगॉन, सीओ2, हिलियम
29.	मेसर्स महाराजा इंजि. इनव्हेस्टमेंट (पंजाब) लि., चंडीगढ	एलपीजी
30.	मेसर्स इंटेल गैस गॅजेट्स प्रा.लि., चंडीगढ	परमनन्ट गैस (आयएस 3224)
31.	मेसर्स विलीनवाल्व इंडस्ट्रीज, सोलापूर	परमनन्ट गैस (आयएस 3224)
32.	मेसर्स अरिहंत एलपीजी प्रा.लि., सिकंदराबाद	एलपीजी
33.	मेसर्स ऑरसन होल्डींगज लि., कोलकाता	एलपीजी
34.	मेसर्स कारबॅक होल्डींगज लि., कोलकाता	एलपीजी
35.	मेसर्स स्टॅन्डर्ड कार्स्टींग प्रा.लि., नई दिल्ली	हॅलोन-1211
36.	मेसर्स अक्षय एलपीजी वाल्वज, जिला रंगा रेड्डी	एलपीजी
37.	मेसर्स हिम वाल्वज एण्ड रेग्युलेटर्स प्रा.लि., जिला उना	एलपीजी
38.	मेसर्स सिलीनवाल्व इंडस्ट्रीज, सोलापूर	एलपीजी
39.	मेसर्स इंटेल गैस गॅजेट्स प्रा.लि., चंडीगढ	एलपीजी

40.	मेसर्स सदरन मेटल्स एण्ड अलॉइज प्रा.लि., मुंबई	एलपीजी
41.	मेसर्स कृष्णा डायकास्टींग, पंचकुला	एलपीजी
42.	मेसर्स कोणार्क सिलेण्डर्स एण्ड कंटेनर्स प्रा.लि., भुवनेश्वर	एलपीजी
43.	मेसर्स राजस्थान सिलेण्डर्स एण्ड कंटेनर्स प्रा.लि., जयपुर	एलपीजी
44.	मेसर्स मैक्स वाल्वज एण्ड रेग्युलेटर्स प्रा.लि., पंचकुला	एलपीजी
45.	मेसर्स इंडोफॉब इंजि., जिला रंगा रेड्डी	एलपीजी
46.	मेसर्स व्यासुरपडी वाल्वज, चेन्नई	एलपीजी
47.	मेसर्स चेन्नई वाल्वज, चेन्नई	एलपीजी
48.	मेसर्स ईझील ज्योती सेफटी इंटरप्राइजेस, चेन्नई	एलपीजी
49.	मेसर्स एमईएम इंडस्ट्रीज प्रा.लि., चेन्नई	एलपीजी
50.	मेसर्स प्रिसीजन कंपोनेंट, नई दिल्ली	एलपीजी
51.	मेसर्स एसकेएन इंडस्ट्रीज लि., फरीदाबाद	एलपीजी
52.	मेसर्स के.एस. टेक्नोसेफ प्रा.लि., कानपुर	एलपीजी
53.	मेसर्स फरादया इंजि. इंडस्ट्रीज प्रा.लि., चंडीगढ़	एलपीजी
54.	मेसर्स निमा फोर्ज प्रा.लि., नागपूर	एलपीजी
55.	मेसर्स मद्रास मेटल कंपोनेन्ट्स प्रा.लि., चेन्नई	एलपीजी
56.	मेसर्स निको स्कबर्ट एण्ड सालझर लि., नागपूर	एलपीजी
57.	मेसर्स जगदंबा इंजि. प्रा.लि., हैद्राबाद	सीओ2 और ओ2
58.	मेसर्स दिल्ली इंडस्ट्रीज, दिल्ली	एलपीजी
59.	मेसर्स सॅलिको ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, जिला सोलान (एचपी)	एलपीजी
60.	मेसर्स इलाईट वाल्वज गुम्मींडीपुंडी	एलपीजी

61.	मेसर्स मेगा मेट्रीक्स, पंचकुला	एलपीजी 22 एमएम और 25.6 एमएम
62.	मेसर्स कुडालिंगम वाल्वज प्रा.लि., रेनीगुंटा	एलपीजी
63.	मेसर्स एमएसबी इंडस्ट्रीज चेन्नै	एलपीजी
64.	मेसर्स एकेएमएन सिलेण्डर्स प्रा.लि., मुसीरी तीरुचेरापल्ली	एलपीजी
65.	मेसर्स आर.पी. गैस इक्वीपमेंट, कानपुर	एलपीजी
66.	मेसर्स क्रिशन वाल्वज एण्ड रेग्युलेटर्स, चंडीगढ़	एलपीजी
67.	मेसर्स राधा वाल्वज, चंडीगढ़	एलपीजी
68.	मेसर्स मरडीया इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, चेन्नई	एलपीजी
69.	मेसर्स पुरुषोत्तम वाल्वज इंडस्ट्रीज कानपुर	एलपीजी
70.	मेसर्स पंकज गैस सिलेण्डर्स लि., जिला गाझीयाबाद	एलपीजी
71.	मेसर्स बालाजी सिलेण्डर्स प्रा.लि., चेन्नई	एलपीजी
72.	मेसर्स श्रीनिवास सिलेण्डर्स प्रा.लि., चेन्नई	एलपीजी
73.	मेसर्स वेरनी वाल्वज प्रा.लि., आर.आर. जिला(एपी)	एलपीजी
74.	मेसर्स कुलदीप इंजि. वर्क्स, मुंबई	सीओ2
75.	मेसर्स जय गोपाल इंजि. वर्क्स प्रा.लि., हैद्राबाद	सीओ2, ओर2, एच2
76.	मेसर्स वाल्वज इंडिया प्रा.लि., हैद्राबाद	मल्टी फंक्शन वाल्वज
77.	मेसर्स वनाज इंजिनिअर्स लि., पुणे	मल्टी फंक्शन वाल्वज
78.	मेसर्स कोसान इंडस्ट्रीज प्रा.लि., सुरत	सीएनजी

## एलपीजी सिलेण्डर्स के विनिर्माताओं की सूची

क्रम.	कंपनियों के नाम तथा पते
1	मे. नंदी सिलेण्डर प्रा. लि. प्लॉट नं. 52 तथा 53, नोएडा औद्योगिक क्षेत्र, बिदर - 585 401 (कर्नाटक)
2	मे. कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लि., बन्नखेडा, बैलपाडव रोड, ग्राम विक्रमपूर, बाझपूर - 262401 जिला उधम सिंह नगर, (उत्तरखंड)
3	मे. तिरुपति कंटेनर्स प्रा. लि., 188, लोहा मण्डी, गाझियाबाद.
4	मे. कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लि., (युनिट 2) ग्राम पौड, रासायनी, पोस्ट - माझगाँव, तालुका खालापूर, जिला - रायगढ (महा)
5	मे. श्री साई बालाजी गैस सिलेण्डर्स प्रा. लि. 30/21, देव अपार्टमेंट्स, पहला मेन रोड, गाँधी नगर, अड्यार, चेन्नई - 20.
6	मे. दया इंडस्ट्रिज, एस सी एफ - 28, सेक्टर - 22 डी, चण्डीगढ़.
7	मे. श्री राम सिलेण्डर (युनिट II) प्लॉट नं. 10 एम डब्लू, औद्योगिक क्षेत्र, चण्डीगढ़ - 160 002.
8	मे. साबू सिलेण्डर्स (प्रा.) लि.,

	505-506, सहयोग बिल्डिंग, 58 नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली - 110 019.
9	मे. इंटेल गैस गैजेट्स प्रा. लि. ग्राम - हरिपूर, हिन्दूअन, देराबासी (पंजाब)
10	मे. गोपाल सिलेण्डर्स, युनिट 3, हिल टॉप इंडिस्ट्रियल इस्टेट, एक्सपोर्ट झोन के पास, झरमाझरी बड्डी, जिला - सोलन (हिमाचल प्रदेश)

**एलपीजी रेगुलेटर्स के विनिर्माताओं की सूची**  
(वर्ष 01.04.2010 से 31.03.2011 के दौरान अनुमोदित)

क्रम.	पार्टी का नाम तथा पता
1	मेसर्स गुरदयाल सिंह एण्ड सन्स, बी-1/158, फार्मर अपार्टमेंट, प्लॉट नं. 8, सेक्टर - 13, रोहिणी, दिल्ली - 110 085.
2	मेसर्स हाय-टेक गैस उपकरण कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, 8-बी, शहपीर गेट, मेरठ - (उत्तर प्रदेश)
3	मेसर्स एसके एलपीजी अप्लाएंसेस, के-156, सेक्टर 2, बवाना, डीएसआयडीसी औद्योगिक एस्टेट, दिल्ली - 110 039.
4	मेसर्स गोपाल सिलेण्डर्स, हिल टॉप औद्योगिक एस्टेट, निर्यात क्षेत्र, झरमाझरी, बद्दी के पास,



	जिला – सोलन (हिमाचल प्रदेश)
5	मेसर्स दया इंडस्ट्रीज, एससीएफ 28, सेक्टर – 22 डी, चंडीगढ़.
6	मेसर्स बी-मैक्स प्रॉडक्ट्स, बी-72 / 12, गली नं. 6, साहिबाबाद, राजेन्द्र नगर, औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद

**मल्टीफंक्शन वाल्व के विनिर्माताओं की सूची  
(वर्ष 01.04.2010 से 31.03.2011 के दौरान अनुमोदित)**

क्रम.	पार्टी का नाम तथा पता
	– कोई नहीं –

ऑटो एलपीजी कंटेनर के नए निर्माणकर्ताओं की सूची  
(वर्ष 01.04.2010 से 31.03.2011 के दौरान अनुमोदित)

क्रम.सं.	पार्टी का नाम तथा पता
	– कोई नहीं –

वाल्व के विनिर्माताओं की सूची

(वर्ष 01.04.2010 से 31.03.2011 के दौरान अनुमोदित)

- 1 मेसर्स एसट्रॉन प्रा. लिमिटेड (यूनिट 11),  
शेड नं. 681/682, गेट नं. 540,  
कसरांबोली, तालुका मुलशी,  
जिला – पुणे – 412 108.
- 2 मे. गोपाल सिलेण्डर्स, युनिट 3,  
हिल टॉप इंडिस्ट्रियल इस्टेट,  
एक्स्पॉर्ट झोन के पास, झरमाझरी बड्डी,  
जिला – सोलन (हिमाचल प्रदेश)
- 3 मेसर्स एन.के. ऑटो इलेक्ट्रिकल्स इंडिया (प्रा.) लिमिटेड,  
प्लॉट नं. 21, सेक्टर 4,  
फरीदाबाद – 004 121 (हरियाणा)
- 4 मेसर्स ट्रंस वाल्व (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड,  
प्लॉट नंबर 5, सेक्टर 9, आईआईई पंत नगर,  
उधमसिंह नगर, (उत्तराखंड)

- 5 मेसर्स उत्तर प्रदेश टेलिलिंक्स लिमिटेड,  
युनिट 2, प्लॉट नं. 37, 38 एवं 39, सेक्टर 3,  
इंटीग्रेटेड औद्योगिक एस्टेट, एसआयडीसीयूएल, रूद्रपुर,  
पंत नगर, यू.एस. नगर (उत्तराखंड)

स्थिर तथा गतिशील दाबपात्र (अज्वलित) नियम, 1981 के अंतर्गत मान्यताप्राप्त निरीक्षको  
एवं सक्षम प्राधिकारियों की सूची  
(वर्ष 01.04.2010 से 31.03.2011 के दौरान)

क्रम. सं.	फाइल सं.	दिनांक	पार्टी का नाम	निरीक्षक	नियम के अंतर्गत सक्षम अधिकारी
1	पीवी (आर) 530	04 / 10 / 2010	मेसर्स आयओसीएल, पानीपत रिफायनरी		18 तथा 19
2	पीवी (आर) 538	07 / 03 / 2011	मेसर्स इंडस्टीयल सेफटी एण्ड डेवलपमेंट कौंसिल, कोलकाता		18,19,33,43 तथा 44(2)

अनुमोदित दाबपात्र फैब्रीकेटर की सूची  
(वर्ष 01.04.2010 से 31.03.2011 के दौरान)

क्रम.सं.	कंपनी का नाम तथा पता
1.	मेसर्स राघवेन्द्र प्रेशर वेसल्स प्रा. लि., चेन्नई
2.	मेसर्स सुधीर ब्रदर्स, गोरेगाँव, मुंबई
3.	मेसर्स प्राज इंडस्ट्रिज लि., पुणे
4.	मेसर्स ऑपटेक इंजिनिअर्स प्रा. लि., मुंबई
5.	मेसर्स लोटीस इंजिनिअर्स, पुणे
6.	मेसर्स न्यू फिल्ड इंडस्ट्रिज इक्विपमेंट प्रा.लि., वडोदरा
7.	मेसर्स बीएनएच गैस टैंक, दापोली, पुणे

अनुमोदित पोर्टेबल मॅगजीन की सूची  
(वर्ष 01.04.2010 से 31.03.2011 के दौरान)

क्रम.सं.	कंपनी का नाम तथा पता
1.	मेसर्स संजय कमर्शियल, फॉरेस्ट गेट, नारंगी, गुवाहाटी – 781 026
2.	मेसर्स गुणवंत इंजीनियरिंग, नागपुर

## वर्ष 2010 – 2011 के दौरान एसएमएस (वर्ग 2) के विनिर्माताओं का ब्यौरा

अ. क्र.	कंपनी का नाम	अनुज्ञापि संख्या	स्थित	वर्ग 2 (टनों में)
1.	एकेएस एक्सपो-केम प्रा.लि.	ई/एचक्यू/डब्ल्यू/एसएम/6(ई 52214)	दुजुरी(वी), जिला बॉकुरा	7866
2.	एमए इंडिस्ट्रज प्रा.लि.	ई/एचक्यू/एमएच/एसएम/6(ई 52085)	धागा(वी), जिला नागपुर	38886
3.	अरावली एक्सप्लोजिक्स एण्ड केमिकल्स	ई-25(33)233/एसएमएस	रघु तलेगांव, जिला वर्धा	1500
4.	भारत एक्सप्लोजिक्स लि.	ई/एचक्यू/एमपी/एसएम/17 (ई 52205)	वायधन, सिंधी	8750
5.	भारत एक्सप्लोजिक्स लि.	ई/एचक्यू/एमपी/एसएम/18 (ई 2200)	वायधन, सिंधी	20000
6.	ब्लॉक डायमंड एक्सप्लोजिक्स लि.	ई/एचक्यू/डब्ल्यूबी/एसएम/2 (ई 51723)	नापारा (वी) बर्दवान	40000
7.	ब्लास्टेक (इंडिया) प्रा. लि.	ई/एचक्यू/सीजी/एसएम/4 (ई 551168)	दुर्रामुडु, रायगढ	17700
8.	ब्लास्टेक (इंडिया) प्रा. लि.	ई -25 (33)1062/एसएमएस	झमारकोत्रा माईन्स, उदयपुर	1200
9.	ब्लास्टेक (इंडिया) प्रा. लि.	ई/एचक्यू/एमपी/एसएम/4 (ई 51201)	वायधन, सिंधी	18000
10.	ब्लास्टेक (इंडिया) प्रा. लि.	ई/एचक्यू/सीजी/एसएम/16 (ई 52069)	रतिजा, कोरबा	4000
11.	एमलू टैक प्रा.लि.	ई/एचक्यू/एमपी/एसएम/3 (ई 51227)	वायधन, सिंधी	25000
12.	गजराज केमिकल्स	ई/एचक्यू/एमपी/एसएम/19 (ई 52036)	सिंग्रौली, सिंधी	24000
13.	ग्रासिम इंडिस्ट्रज लि	ई/एचक्यू/आरजे/एसएम/4 (ई 52324)	नयाखेरा जिला चित्तोडगढ	500

14.	गल्फ ऑयल कॉर्पोरेशन लि.	ई/एचक्यू/ओआर/एसएम/1 (ई 51495)	तलचर, अंगुल	4000
15.	गल्फ ऑयल कार्पोरेशन लि.	ई/एचक्यू/एपी/एसएम/2 (ई 51453)	गोदावरीखानी, पन्नुर, करिमनगर	20000
16.	गल्फ ऑयल कार्पोरेशन लि.	ई/एचक्यू/आरजे/एसएम/1 (ई 51506)	झमारकोत्रा, उदयपुर	5000
17.	गल्फ ऑयल कार्पोरेशन लि.	ई/एचक्यू/जेएच/एसएम/3 (ई 51519)	राजराप्पा, हजारीबाग	5000
18.	गल्फ ऑयल कार्पोरेशन लि.	ई/एचक्यू/एपी/एसएम/8 (ई 51531)	निगाही सिंग्रौली	24000
19.	गल्फ ऑयल कार्पोरेशन लि.	ई/एचक्यू/जेएच/एसएम/4 (ई 51515)	धनसर	8750
20.	गल्फ ऑयल कार्पोरेशन लि.	ई/एचक्यू/जेएच/एसएम/1 (ई 51484)	राजमहल ओसीपी, जिला गोड्डा	1875
21.	गल्फ ऑयल कार्पोरेशन लि.	ई/एचक्यू/जेएच/एसएम/8 (ई 51859)	चिंचला, जिला चंद्रपुर	4500
22.	गल्फ ऑयल कार्पोरेशन लि.	ई/एचक्यू/सीजी/एसएम/5 (ई 51483)	बिश्रामपुर, जि. सरगुजा	2000
23.	गल्फ ऑयल कार्पोरेशन लि.	ई/एचक्यू/सीजी/एसएम/7 (ई 51474)	हडीं बाजार, जि. कोरबा	5000
24.	गल्फ ऑयल कार्पोरेशन लि.	ई/एचक्यू/ओआर/एसएम/8 (ई 51539)	सोनपर्वत (वी) लि सुदरगढ	11250
25.	गल्फ ऑयल कार्पोरेशन लि.	ई/एचक्यू/ओआर/एसएम/4 (ई 51630)	जलाहुरी (वी) बारबिल जिला केओनझर	3000
26.	गल्फ ऑयल कार्पोरेशन लि.	ई/एचक्यू/जेएच/एसएम/6 (ई 51452)	कोर्टा (वी) नोआमुंदी, जिला, सिंहभूम	1500
27.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि. (आयबीपी प्रभाग)	ई/एचक्यू/ओआर/एसएम/1 (ई 51529)	तलचर, अंगुल	3600
28.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन	ई/एचक्यू/सीजी/एसएम/6	खमारिया, बिलासपुर	14375

	लि. (आयबीपी प्रभाग)	(ई 51442)		
29.	आयबीपी	ई/एचक्यू/जेएच/एसएम/2 (ई 51407)	कथरा, बोकारो	2000
30.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि. (आयबीपी प्रभाग)	ई/एचक्यू/आरजे/एसएम/3 (ई 52056)	रामपुरा अगूछा, भिलवारा	3500
31.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि. (आयबीपी प्रभाग)	ई/एचक्यू/जेएच/एसएम/8 (ई 51859)	नाधखुर्ची (वी) धनबाद	16050
32.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि. (आयबीपी प्रभाग)	ई/एचक्यू/जेएच/एसएम/15 (ई 52132)	राजमहल गोड्डा (बिहार)	3000
33.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि. (आयबीपी प्रभाग)	ई/एचक्यू/एमपी/एसएम/9 (ई 51370)	सिंग्रौली, सिंधी	30000
34.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि. (आयबीपी प्रभाग)	ई/एचक्यू/एमपी/एसएम/7 (ई 51429)	मलांजखंड (वी)जिला बाजाघाट	3000
35.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि. (आयबीपी प्रभाग)	ई/एचक्यू/ओआर/एसएम/13 (ई 51352)	बालागोडा (वी) जिला केओनझार	1000
36.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि. (आयबीपी प्रभाग)	ई/एचक्यू/डब्लुबी/एसएम/1 (ई 51341)	बिलपरहरि (वी) जिला बर्दवान	10750
37.	आयडियल इंडस्ट्रियल एक्सप्लोझिक्स लि.	ई/एचक्यू/एपी/एसएम/10 (ई 52015)	चितयाल, नालगोण्डा	24000
38.	आयडियल इंडस्ट्रियल एक्सप्लोझिक्स लि.	ई/एचक्यू/एमएच/एसएम/10 (ई 52005)	चंद्रपुर	4000
39.	आयडियल इंडस्ट्रियल एक्सप्लोझिक्स लि.	ई/एचक्यू/एपी/एसएम/20 (ई 52156)	वैधन, सिंधी	27500
40.	आयडियल इंडस्ट्रियल एक्सप्लोझिक्स लि.	ई/एचक्यू/सीजी/एसएम/14 (ई 52012)	हर्दीबाजार (वी) जिला कोरबा	15000
41.	आयडियल इंडस्ट्रियल एक्सप्लोझिक्स लि.	ई/एचक्यू/ओआर/एसएम/9 (ई 52010)	कटारबागा (वी) जिला संभलपुर	15000
42.	इंडियन एक्सप्लोझिक्स लि.	ई/एचक्यू/ओआर/एसएम/06 (ई 51681)	आयबीवैली, झारसीगुडा	4650
43.	इंडियन एक्सप्लोझिक्स लि.	ई/एचक्यू/डब्लुबी/एसएम/3 (ई 51690)	सोनेपुर, जिला बर्दवान	5500



44.	इंडियन एक्सप्लोझिक्स लि.	ई/एचक्यू/सीजी/एसएम/10 (ई 51667)	कोरबा, बिलासपुर	13660
45.	इंडियन एक्सप्लोझिक्स लि.	ई/एचक्यू/एमएच/एसएम/07 (ई 51645)	चंद्रपुर	10000
46.	इंडियन एक्सप्लोझिक्स लि.	ई/एचक्यू/ओआर/एसएम/7 (ई 51654)	तलचर, अंगुल	8961
47.	इंडियन एक्सप्लोझिक्स लि.	ई/एचक्यू/एपी/एसएम/13 (ई 51863)	ईटवा (वी) जिला सिंग्रौली	25000
48.	इंडियन एक्सप्लोझिक्स लि.	ई/एचक्यू/जेएच/एसएम/9 (ई 51732)	डाक्रा, जिला रांची	8292
49.	इंडियन एक्सप्लोझिक्स लि.	ई/एचक्यू/एपी/एसएम/05 (ई 51637)	मुस्थयाला, करीमनगर	6000
50.	इंडियन एक्सप्लोझिक्स लि.	ई/एचक्यू/एपी/एसएम/7 (ई 51850)	समिथिसिंगारम, (वी) कम्मम	1000
51.	इंडियन एक्सप्लोझिक्स लि.	ई/एचक्यू/जेएच/एसएम/8 (ई 51664)	मुकुंदा, जिला धनबाद	7000
52.	इंडियन एक्सप्लोझिक्स लि.	ई/एचक्यू/जेएच/एसएम/12 (ई 51664)	गोमिया, जिला बोकारो	2200
53.	इंडियन एक्सप्लोझिक्स लि.	ई/एचक्यू/डब्लुबी/एसएम/4 (ई 51951)	चुरुलिया (वी), जिला बर्दवान	3000
54.	इंडियन एक्सप्लोझिक्स लि.	ई/एचक्यू/सीजी/एसएम/13 (ई 51994)	किरंदुल (वी), जिला दंतेवाडा	1500
55.	इंडियन एक्सप्लोझिक्स लि.	ई/एचक्यू/सीजी/एसएम/11 (ई 51884)	लिब्रा (वी), जिला रायगढ	8500
56.	इंडियन एक्सप्लोझिक्स लि.	ई/एचक्यू/जेएच/एसएम/1 (ई 51651)	बारुघुटु, जिला रामगढ	7500
57.	केलटेक एनर्जीस लि.	ई/एचक्यू/एमएच/एसएम/4 (ई 51258)	चंद्रपुर	9000
58.	केलटेक एनर्जीस लि.	ई/एचक्यू/एपी/एसएम/5 (ई 51288)	जामुडी, शहडोल म. प्र.	10000
59.	केलटेक एनर्जीस लि.	ई/एचक्यू/एपी/एसएम/2	वायधन, सिंधी	20000

		(ई 51247)		
60.	केलटेक एनर्जीस लि.	ई/एचक्यू/केए/एसएम/1 (ई 51236)	वारंग, जिला उडुप्पी	2200
61.	केलटेक एनर्जीस लि.	ई/एचक्यू/एपी/एसएम/9 (ई 52017)	मनुगुरु, खम्मम	6000
62.	केलटेक एनर्जीस लि.	ई/एचक्यू/सीजी/एसएम/1 (ई 51222)	हर्डी बाजार, कारबा	5000
63.	केलटेक एनर्जीस लि.	ई/एचक्यू/एपी/एसएम/3 (ई 51672)	मुस्थयाला, करीमनगर	5000
64.	केलटेक एनर्जीस लि.	ई/एचक्यू/सीजी/एसएम/2 (ई 51213)	बचेली, जिला दंतेवाडा	5000
65.	केसाराम सिमेंट	ई/एचक्यू/एपी/एसएम/14 (ई 52320)	बसंतनगर, जिला करीमनगर	500
66.	नाल्को	ई/एचक्यू/ओआर/एसएम/12 (ई 52384)	दामनजोडी, करुपत	600
67.	नवभारत एक्स्प्लोजिक्स लि.	ई/एचक्यू/सीजी/एसएम/12 (ई 51963)	गोपालपुर, रायपुर	8000
68.	नवभारत एक्स्प्लोजिक्स लि.	ई/एचक्यू/सीजी/एसएम/15 (ई 51978)	हर्डी बाजार, कोरबा	5000
69.	नवभारत एक्स्प्लोजिक्स लि.	ई/एचक्यू/एपी/एसएम/14 (ई 51970)	देव्हारा, जिला शहडोल	5000
70.	नवभारत फ्यूज प्रा. लि.	ई/एचक्यू/सीजी/एसएम/16 (ई 52174)	वायधन, सिंधी	30000
71.	नवभारत फ्यूज प्रा. लि.	ई/एचक्यू/सीजी/एसएम/21 (ई 5270)	उर्ला, रायपुर	3000
72.	नवभारत फ्यूज प्रा. लि.	ई/एचक्यू/सीजी/एसएम/17 (ई 52165)	आकाश नगर, जिला दंतेवाडा	5000
73.	नवभारत फ्यूज प्रा. लि.	ई/एचक्यू/ओआर/एसएम/10 (ई 52163)	तलचर, अंगुल	6000
74.	आरियन्ट एक्स्प्लो प्रा. लि.	ई/एचक्यू/एमएच/एसएम/2 (ई 51164)	बाजारगाँव, जिला नागपुर	22500

75.	आरियन्ट एक्स्प्लो प्रा. लि.	ई/एचक्यू/एपी/एसएम/1 (ई 51361)	वायधन, सिंधी	18000
76.	आरियन्ट एक्स्प्लो प्रा. लि.	ई/एचक्यू/एपी/एसएम/11 (ई 5256)	सिंधोरी, सुदरगढ़	6000
77.	प्रसाद एक्स्प्लो प्रा. लि.	ई/एचक्यू/जेएच/एसएम/14 (ई 52046)	पेंडरा (वी), जिला रांची	22680
78.	प्रिमियर एक्स्प्लो प्रा. लि.	ई/एचक्यू/एमपी/एसएम/10 (ई 51578)	वायधन, सिंधी	10000
79.	प्रिमियर एक्स्प्लो प्रा. लि.	ई/एचक्यू/एमएच/एसएम/8 (ई 51808)	मनुगुरु, खम्मम	9000
80.	प्रिमियर एक्स्प्लो प्रा. लि.	ई/एचक्यू/एमएच/एसएम/9 (ई 51976)	चंद्रपुर	3000
81.	प्रिमियर एक्स्प्लो प्रा. लि.	ई/एचक्यू/टीएन/एसएम/4 (ई 51573)	कीलपथी (वी) जिला कड्डलोर	3000
82.	प्रिमियर एक्स्प्लो प्रा. लि.	ई/एचक्यू/एपी/एसएम/8 (ई 51781)	मुस्थाला, करीमनगर	3000
83.	राजस्थान एक्स्प्लो एण्ड केमिकल्स लि.	ई/एचक्यू/एमपी/एसएम/6 (ई 51172)	वायधन, सिंधी	25000
84.	साल्वो एक्स्प्लोजिक्स एण्ड केमिकल्स प्रा. लि.	ई/एचक्यू/एपी/एसएम/11 (ई 52040)	अंक्रीरेड्डी पल्ली (वी), रेंगारेड्डी	13200
85.	श्री. सीमेंट लि.	ई/25(33)1296/एएनएफओ/1	आरएस (वी), जिला पाली राज.	2400
86.	सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लि.	ई/एचक्यू/एमपी/एसएम/11 (ई 51559)	वायधन, सिंधी	7200
87.	सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लि.	ई/एचक्यू/एमएच/एसएम/6 (ई 51616)	राजुरा, चंद्रपुर	25000
88.	सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लि.	ई/एचक्यू/सीजी/एसएम/20 (ई 51589)	मुडापार (वी), जिला कोरबा	20000
89.	सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लि.	ई/एचक्यू/ओआर/एसएम/2 (ई 51538)	झारसुगुडा (वी), जिला झारसुगुडा	12000
90.	सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया	ई/एचक्यू/जेएच/एसएम/5	मनुआ (वी), जिला	24420

	लि.	(ई 51553)	हजारीबाग	
91.	सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लि.	ई/एचक्यू/एपी/एसएम/4 (ई 51561)	मुस्थालया, करीमनगर	19000
92.	सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लि.	ई/एचक्यू/एमएच/एसएम/5 (ई 51569)	तडालिया (वी), जिला चंद्रपुर	2190
93.	सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लि.	ई/एचक्यू/जेएच/एसएम/7 (ई 51543)	धनबाद (वी), जिला धनबाद	10000
94.	सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लि.	ई/एचक्यू/डब्लुबी/एसएम/5 (ई 51694)	आंसनसोल (वी), जिला बर्दवान	8340
95.	सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लि.	ई/एचक्यू/ओआर/एसएम/5 (ई 51535)	घोंटापाडा(वी), जिला अंगुल	10000
96.	सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लि.	ई/एचक्यू/आरजे/एसएम/2 (ई 51619)	रूपाहली (वी), जिला भिलवारा	21120
97.	सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लि.	ई/एचक्यू/सीजी/एसएम/8 (ई 51596)	चैनपुर (वी) जिला कोरिओ	3000
98.	सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लि.	ई/एचक्यू/जेएच/एसएम/10 (ई 51537)	बारुघुट्टु (वी), जिला रामगढ	10000
99.	सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लि. नागपुर	ई/एचक्यू/एमपी/एसएम/12 (ई 51986)	गनियारी (वी), जिला सिंगरौली	2160
100.	स्पेशल ब्लास्ट्स लि.	ई/एचक्यू/सीजी/एसएम/3 (ई 51448)	पिरदा, जिला दुर्ग	17400
101.	स्पेशल ब्लास्ट्स लि.	ई/एचक्यू/एमपी/एसएम/15 (ई 51940)	वायधन, सिंधी	23400
102.	स्पेशल ब्लास्ट्स लि.	ई/एचक्यू/सीजी/एसएम/19 (ई 51336)	गेवरा/हर्डी बाजार, कोरबा	10000
103.	श्री कृष्णा एक्सप्लोजिक्स एण्ड एसेसरिज प्रा.लि.	ई/एचक्यू/सीजी/एसएम/9 (ई 51706)	सराईसिंगर (वी), जिला कोरबा	17100
104.	सुआ एक्सप्लोजिक्स एण्ड एसेसरिज प्रा.लि.	ई/एचक्यू/एमएच/एसएम/3 (ई 51198)	केलझर, जिला वर्धा	9000
105.	सुआ एक्सप्लोजिक्स एण्ड एसेसरिज प्रा.लि.	ई/एचक्यू/टीएन/एसएम/3 (ई 51207)	छेन्नथूर (वी) कृष्णागिरी	10000

106.	तमिलनाडु इंडस्ट्रियल एक्स्प्लोजिक्स लि.	ई/एचक्यू/टीएन/एसएम/2 (ई 51218)	वांधनथलगल, वेल्लोर	1500
107.	टेक्नो ब्लास्ट इंडिया प्रा.लि.	ई/एचक्यू/एमएच/एसएम/1 (ई 50722)	छिछला, चंद्रपुर	15000
108.	द सिंगरेनी कोलियरिज कं. लि.	ई/एचक्यू/एपी/एसएम/12 (ई 52147)	जालापल्ली (वी), जिला	10000
109.	द सिंगरेनी कोलियरिज कं. लि.	ई/एचक्यू/एपी/एसएम/13 (ई 52144)	मनुगुरु (वी), खम्मम	5000
110.	वेट्रीवेल एक्स्प्लोजिक्स प्रा.लि.	ई/एचक्यू/टीएन/एसएम/1 (ई 51215)	टी मुरुंगापट्टी (वी) त्रिचि	6000
111.	रिजनेसिस इंडस्ट्रिज प्रा.लि.	ई/एचक्यू/एपी/एसएम/1 (ई 51313)	बोम्मयंरामरम (वी), नालगोंडा	20000
				<b>1161725</b>

## 2009-2010 के दौरान पेट्रोलियम वेसल्स के परिक्षण

मुंबई, अलंग (गुजरात), कोलकाता, विशाखापट्टनम्, मंगलौर, चेन्नई तथा कोचिन बंदरगाह पर स्थित पेट्रोलियम टैंकर वेसल्स के ऑईल टैंक पंप रूम, आदि के परिक्षण के पश्चात इस संस्थान के अधिकारियों द्वारा वर्ष 2010-2011 के दौरान 4262 गैस-फ्री प्रमाणपत्र जारी किये गए।

यद्यपी शिप ब्रेकिंग याडर्स में पुरजे खोलकर तथा काटकर तोडने के लिए योग्य टैंकर, पेट्रोलियम वहन पात्र नहीं है, फिर भी इससे जुडे/संबंधित खतरो तथा कामगारों की सुरक्षा को देखते हुए, संगठन, डॉक एन्ट्री तथा मॅन एन्ट्री के प्रयोजन के लिए गैस-फ्री कंडीशन्स के जाँच तथा परीक्षण के लिए अपनी सेवाएं दे रहा है। इससे शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री को बढने तथा विश्व के दुसरे सबसे बडे रूप में विकसित होने में मदद हुई है।

### कोर्ट अटेंडन्स

वर्ष 2010-2011 के दौरान विस्फोटक अधिनियम 1884 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के विभिन्न प्रावधानों के तहत अभियोजन के मामलो में इस संगठन के अधिकारियों ने 52 मौको पर लॉ कोर्ट में एक्स्पर्ट तकनिकी साक्ष्य दी।

01.04.2010 से 31.03.2011 के दौरान

## रिफायनरी का कार्य

अनु. क्र.	परिष्करण शाला (रिफायनरी) का नाम	क्रुड ऑयल प्रोसेस्ड/ निर्माण	स्थापित क्षमता	एलपीजी निर्माण	एलपीजी बिक्री	दुर्घटनाओं की संख्या	निर्यात	
		एमएमटी	एमएमटी	एमएमटी	एमएमटी		संख्या एमटी	मूल्य (करोड़ में)
1.	आयसोसीएल, दिगबोई	0.651006	0.650000	0.008986	0.008986	शून्य	शून्य	शून्य
2.	आयसोसीएल, पानीपत	1.365871	1.500000	0.584522	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	आयसोसीएल, गुवाहाटी	1.117540	1.000000	0.048531	0.048015	1	शून्य	शून्य
4.	आयसोसीएल, बरौनी	6.207406	6.000000	0.3404681	0.3387801	1	0.94923145	3516.362
5.	आयसोसीएल, हल्दीया	6.878000	7.500000	0.181611	0.182065	शून्य	0.488942	1189.53
6.	आयसोसीएल, वडोदरा	13.561068	13.700000	0.420536	0.420616	शून्य	1.073486	3700.58
7.	आयसोसीएल, मथुरा	8.880000	8.000000	0.303940	0.304825	1	शून्य	शून्य
8.	आयसोसीएल, बोंगईगांव	2.008295	2.350000	0.044653	0.044653	शून्य	0.135939	535
9.	एचपीसीएल, मुंबई	6.554	6.500	0.2538	0.2234	शून्य	0.41124	1395.38
10.	एचपीसीएल, वैजाक	8.1996	8.300	0.2812	0.2795	2	0.797724	2396.55
11.	बीपीसीएल, मुंबई	13.020000	12.000000	0.512	0.512	शून्य	1.83	6232
12.	ईसार ऑईल लि.	14.755609	10.500000	0.601227	0.595928	शून्य	13.990	शून्य
13.	बीपीसीएल कोच्ची रिफायनरी	8.698313	9.500000	0.469665	0.466022	शून्य	0.722414	2059.58
14.	सीपीसीएल कावेरी बेसिन रिफायनरी	0.00070330	1.000000	0.022763	0.022924	शून्य	0.034692	103.3
15.	चेन्नई रिलायन्स	10.044560	10.500000	0.365669	0.364820	8 (2+6)	1.154333	3105.4
16.	नुमालीगढ रिफायनरी आसाम	2.250225	3.000000	0.041887	0.042342	शून्य	शून्य	शून्य

17.	आरआयएल जामनगर एसईझैड रिफायनरी डिवीजन	35.573	33.24	2.064	2.064	शून्य	29.849	101503
18.	डीटीए रिफायनरी डिवीजन	31.047	37.82	0.607	0.607	शून्य	13.204	41.972
19.	एमआरपीएल	12.639	11.82	0.300	0.298	शून्य	4.315	शून्य
20.	भारत ओमान रिफायनरी	—	—	—	—	—	—	—
	<b>योग</b>	<b>183.451</b>	<b>184.88</b>	<b>7.452</b>	<b>7.163</b>	<b>13</b>	<b>68.956</b>	<b>125778.654</b>

कुल स्थापित क्षमता = 184.88 एमएमटी    कुल क्रूड ऑयल प्रोसेस्ड =183.451 एमएमटी

कुल निर्मित एलपीजी = 7.452 एमएमटी    कुल निर्मित एलपीजी = 7.163 एमएमटी